रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एल)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

CENTRAL 21 JAN 1983

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 9, 1982 (आश्विन 17, 1904)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 1982 (ASVINA 17, 1904)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके**

**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और साधारण आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं | 641 |
| भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं | 1327 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और साधारण आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं | — |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं | 1313 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | |
| भाग II—खंड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | |
| भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विनि तथा रिपोर्ट | |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | 2189 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | 3313 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) | 305 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश | 323 |
| भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं | 13617 |
| भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, चेन्नई द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस | 585 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं | 211 |
| भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 2493 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस | 225 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी बोलों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक | * |


*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolution and Nos. Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. | 641 |
| PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. .. .. | 1327 |
| PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. .. | — |
| PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. .. | 1313 |
| PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. | * |
| PART II SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. | 2189 |
| PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. | 3313 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) .. .. | 305 |
| PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. | 323 |
| PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. | 13617 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. | 565 |
| PART III.—SECTION—3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. .. | 211 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. .. | 249 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 225 |
| PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .. | * |


* Folio No. not received.

# भाग I—खण्ड 1

# PART I—SECTION 1

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1982

क्रमांक 14/11/78-सी० टी० ई०—सर्व साधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि डा० आई० बी० गुलाटी, निदेशक भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून, को डा० जी० व्यागराजन, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, के स्थान पर अध्यक्ष, समन्वय परिषद् रसायन विज्ञान दल के रूप में दिनांक 1-10-1982 से 30-9-1984 तक नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप डा० व्यागराजन का नाम और पद जो अधिसूचना सं० 1/4/82-सी० टी०ई० दिनांक 1 जुलाई, 1982 के क्रमांक 6 पृष्ठ 4 पर अंकित है और भारत सरकार के राजपत्र के भाग-I—अनुभाग-1 में प्रकाशित किया गया था, के स्थान पर डा० आई० बी० गुलाटी निदेशक, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून का माना जाए।

जी० एस० सिद्धू
सचिव, भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
सी०एस० आई० आर० के कार्यों के लिए

तथा

महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान
परिषद्, नई दिल्ली।

---

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर, 1982

संकल्प

सं० ई० 11017/3/80-रा० भा० कार्यान्वयन—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 12 अप्रैल, 1978 के संकल्प संख्या ई०-11018/1/77-रा० भा० कार्यान्वयन का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन और कार्य इस प्रकार होंगे :—

1. गठन

| | | |
|---|---|---|
| 1. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. | सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 4. | सचिव, राजभाषा विभाग और हिन्दी सलाहकार | सदस्य |
| 5. | अपर सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 6. | अपर सचिव और आयुक्त (प.क.) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 7. | संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 8. | स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली | सदस्य |
| 9. | श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द राव, सदस्य, लोक सभा | सदस्य |
| 10. | श्री एच० के० गंगवार, सदस्य, लोक सभा | सदस्य |
| 11. | श्री इन्द्रदीप सिन्हा, सदस्य, राज्य सभा | सदस्य |
| 12 | श्री जगन्नाथ राव, जोशी, सदस्य, राज्य सभा | सदस्य |
| 13. | संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित राज्य सभा सदस्य | सदस्य |
| 14. | संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य | सदस्य |
| 15. | श्री प्रभात शास्त्री, प्रधान मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | सदस्य |
| 16. | श्री वे० राधाकृष्णा मूर्ति, प्रधान सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराय नगर, मद्रास-600017 | |
| 17. | अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स बाई-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली | सदस्य |
| 18. | डा० मलिक मोहम्मद, अध्यक्ष, नागरी लिपि परिषद्, गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली-110002 | सदस्य |
| 19. | अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली | सदस्य |
| 20. | निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली | सदस्य |
| 21. | निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ | सदस्य |
| 22. | डा० सुरेन्द्र नाथ गुप्ता, 52/1, ईस्ट कैनाल रोड, देहरादून (उ० प्र०) | सदस्य |
| 23. | डा० देव नारायण पाण्डेय, प्राध्यापक, पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | सदस्य |

24. श्री हरिशंकर,
संपादक, "हिन्दी शिक्षक", 125 गिरगांव रोड,
बम्बई 400004

25. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य-सचिव

2. कार्य :

इस समिति का कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार काम-काज के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग एवं केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों से संबंधित मामलों में सलाह देना होगा ।

3. कार्यकाल :

समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा ।

1. समिति में नामजद कोई सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेगा उसी समय से वह इस समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा।
2. कार्यकाल के बीच में रिक्त हुआ स्थान उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जायेगा और वह अधिकारी 3 वर्ष की अवधि के बाकी समय के लिये सदस्य रहेगा।

4. सामान्य :

1. समिति आवश्यकता समझने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये विशेषज्ञों से आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी ।"
2. समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. यात्रा व अन्य भत्ते :

समिति और इस समिति की उप-समिति, यदि कोई हो, की बैठकों में उपस्थित होने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते दिये जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्री मंडल सचिवालय संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(रामकिशोर सिंघल संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1982

संकल्प

सं०–18–1/82–०मीए5-भारत सरकार ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 के संकल्प संख्या 50(1)/78-सी० ए०-1 द्वारा गठित भारतीय चावल विकास परिषद का तत्काल से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद का निम्नलिखित रूप में गठन किया जायेगा :—

1. अध्यक्ष—एक गैर सरकारी व्यक्ति, जो भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।
2. उपाध्यक्ष—कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), नई दिल्ली ।
3. सदस्य सचिव—निदेशक चावल विकास निदेशालय, भारत सरकार, पटना ।
4. सदस्य :—

(क) संसद सदस्य : तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जायेंगे ।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

निम्न राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार नामजद करेगी :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. हरियाणा
5. जम्मू व कश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. उत्तर प्रदेश
13. तमिलनाडु
14. पश्चिम बंगाल

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

1. विस्तार आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग या उनका नामजद व्यक्ति।
2. संयुक्त आयुक्त (खाद्य फसलें), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

3. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली या उनका नामजद व्यक्ति ।

4. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

5. खाद्य विभाग, कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

6. अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि ।

7. कृषि विपणन सलाहकार, निर्माण विकास मंत्रालय, या उनका प्रतिनिधि ।

8. निदेशक, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ।

9. परियोजना निदेशक, अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, हैदराबाद ।

10. नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

चावल पैदा करने वाले निम्नलिखित प्रमुख राज्यों से उत्पादकों के चौदह प्रतिनिधि जिन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारें नामजद करेंगी :—

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | एक प्रतिनिधि |
| 2. असम | —तदैव— |
| 3. बिहार | —तदैव— |
| 4. हरियाणा | —तदैव— |
| 5. जम्मू व कश्मीर | —तदैव— |
| 6. कर्नाटक | —तदैव— |
| 7. केरल | —तदैव— |
| 8. महाराष्ट्र | —तदैव— |
| 9. मध्य प्रदेश | —तदैव— |
| 10. उड़ीसा | —तदैव— |
| 11. पंजाब | —तदैव— |
| 12. उत्तर प्रदेश | —तदैव— |
| 13. तमिलनाडु | —तदैव— |
| 14. पश्चिम बंगाल | —तदैव— |

(ङ) कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

| | |
|---|---|
| 1. फार्मों में काम करने वाले कर्मचारी | एक |
| 2. फैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारी | एक |

(च) राइस मिलर्स एसोशिएशन का एक प्रतिनिधि ।

(छ) ऐसे अधिक से अधिक चार और व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार इस फसल के विकास में उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर नामजद करे ।

5. पर्यवेक्षक :

ओकि परिषद के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु जिन्हें परिषद के विचार-विमर्श में सहयोग देने के लिये आमंत्रित किया जायेगा ।

1. कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।

3. अध्यक्ष राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली या उनका नामजद व्यक्ति ।

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगा, जो निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में चावल के विकास कार्यक्रमों पर विचार करना । समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय सुझाना ।

(2) चावल के उत्पादन तथा विपणन और चावल के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना ।

(3) देशीय तथा निर्यात मंडियों में चावल की मांग पर विचार करना तथा तदनुसार चावल के उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन करने के बारे में सरकार को सलाह देना ।

(4) चावल के उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना;

(5) अनुसंधान और चावल विकास के कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना तथा चावल की क्वालिटी और उसकी उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के संबंध में सलाह देना, और

(6) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य ऐसे सम्बद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद को विशिष्ट मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए स्थाई ,समिति तकनीकी समिति और तदर्थ समिति नियुक्त करने और आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कृषि विश्वविद्यालययों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. इस परिषद की उन क्षेत्रों में जहां चावल पैदा होता है, अनुसंधान व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में समय-समय पर बैठकें हुआ करेगी और परिषद भारत सरकार को अपनी सिफारिश पेश करेगी ।

5. परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसे भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा समाप्त न कर दिया जाए । परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का सेवाकाल परिषद में उनके नामजद होने की तारीख से तीन वर्ष का होगा । यह अवधि भारत सरकार के विशिष्ट आदेश से घटाई या बढ़ाई जा सकेगी ।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए जाने वाले परिषद के ऐसे सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना, आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

कृष्ण चन्द्र आचार्य,
अपर सचिव

---

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1982

संकल्प

सं० एफ० 1-1/80-पी० एन०-2—1. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पिछली बार वर्ष 1975 में गठित किया गया था । पिछले बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो गया । पिछले कुछ वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं । संविधान की 7 वीं अनुसूची में की समवर्ती सूची में लाये जाने के कारण शिक्षा एक उल्लेखनीय विषय है । प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना तथा प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करना नए 20-सूत्री कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों में से है । शिक्षा, रोजगार तथा विकास आपस में पहले की अपेक्षा अधिक निकट होते जा रहे हैं । इस सन्दर्भ में सरकार महत्वपूर्ण शैक्षिक मामलों पर सलाह देने के लिए एक व्यापक आधारित राष्ट्र स्तरीय सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता है । तदनुसार, भारत सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का तत्काल पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ।

अनुलग्नक

2. बोर्ड, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र को किसी शैक्षिक प्रश्न पर या तो अपने आप ही या अनुरोध करने पर, सलाह दे सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिये, बोर्ड भारत के लिए विशेष रुचि तथा महत्व की शैक्षिक घटनाओं के सम्बन्ध में देश के अन्दर या देश से बाहर किसी सरकार, संस्था अथवा संगठन से सूचना या टिप्पणियां मंगा सकता है।

3. बोर्ड का गठन इस संकल्प के अनुबन्ध में दी गई व्यवस्था के अनुसार होगा।

4. (क) कार्यकाल : बोर्ड के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो कार्यकाल इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(ख) आकस्मिक रिक्त स्थान : (1) पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के सभी आकस्मिक रिक्त स्थान उस प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने उस सदस्य को नामजद अथवा चुना था जिसका पद रिक्त हुआ है। (2) आकस्मिक रिक्त स्थान के लिए नामजद/चुना गया व्यक्ति बोर्ड का सदस्य उस शेष अवधि के लिए रहेगा, जिस अवधि तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे चुना गया है, सदस्य बना रहता।

(ग) बैठकें : साधारणतया, बोर्ड की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होगी। तथापि, बोर्ड की दो बैठकों के बीच दो वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

(घ) कार्यसूची : (1) कार्यसूची, व्याख्यात्मक ज्ञापन और कार्यवाही/कार्यवृत्त के रिकार्ड शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाए जायेंगे और परिचालित किए जाएंगे। (2) कार्यसूची और व्याख्यात्मक ज्ञापन सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठक से 15 दिन पहले परिचालित किये जाएंगे।

(ङ) कोरम : बोर्ड की बैठक का कोरम बोर्ड की कुल सदस्यता का दो-तिहाई होगा।

(च) कार्यपद्धति : जिन मामलों के लिए उपर कोई पद्धति नहीं बनाई गई है उनके सम्बन्ध में बोर्ड अपनी कार्यपद्धति अपनाएगा ;

(छ) समितियां : (1) अपने कार्य को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने अथवा जिन मामले में विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता है उस पर विचार करने के लिए बोर्ड उन व्यक्तियों/विशेषज्ञों की स्थायी और तदर्थ समितियां नियुक्त कर सकता है, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।

(2) इस प्रकार की स्थायी और तदर्थ समितियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखने के लिए बोर्ड ऐसे दो व्यक्तियों को इन समितियों का सदस्य नामित करेगा, जो बोर्ड के सदस्य हैं।

(3) इस प्रकार की प्रत्येक समिति में साधारणतया: आठ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें, बोर्ड द्वारा इन समितियों में नामित बोर्ड के सदस्य भी शामिल हैं।

(ज) केवल कार्य-पद्धति सम्बन्धी किसी त्रुटि अथवा सदस्यता की किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत खाली स्थान होने के आधार पर बोर्ड की कोई कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

एस० रामामूर्ति, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन निम्नलिखित के अनुसार होगा :—

| | संख्या |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष : केन्द्रीय शिक्षा मंत्री | 1 |
| 2. भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग | 1 |
| 3. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि : प्रत्येक राज्य से शिक्षा-प्रभारी मंत्री | 22 |
| 4. संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि : जहां विधान सभा है उस प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का शिक्षा-प्रभारी मंत्री। (अरुणाचल प्रदेश, गोवा दमन और दीव, मिजोरम और पांडिचेरी) | 4 |
| 5. चुने गए सदस्य : लोक सभा से दो संसद सदस्य और राज्य सभा से एक संसद सदस्य | 3 |
| 6. पदेन सदस्य : | |
| (क) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। | 1 |
| (ख) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली। | 1 |
| (ग) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली | 1 |
| (घ) निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली। | |
| 7. नामजद सदस्य : भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले 11 शिक्षाविद | 11 |
| 8. सदस्य-सचिव : सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। | 1 |
| | 47 |

विशेष आमंत्रित :

1. सचिव, गृह मंत्रालय
2. सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय
3. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
4. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
5. अपर सचिव, संस्कृति विभाग।
6. शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)
7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आयुक्त।
8. शिक्षा और संस्कृति विभागों और स्वायत्त संगठनों के प्रमुख निम्नलिखितों के प्रतिनिधि :
9. भारतीय विश्वविद्यालय संघ।
10. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
12. भारतीय चिकित्सा परिषद्।
13. महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं।
14. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।

## शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1982

### संकल्प

सं० एफ० 6-2/82/डी-1(एल०)—हिन्दी शिक्षा समिति का पिछली बार पुनर्गठन इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ-7-2 (11)/80-डी० 1 (एन), दिनांक 21 अप्रैल, 1981 द्वारा किया गया था। समिति का पुनर्गठन एतद्-द्वारा आगे निम्न प्रकार किया जाता है :—

1. गठन

| | |
|---|---|
| 1. उप-शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के चार नामजद सदस्य :— | |
| (i) श्री आर० एस० | |
| (ii) श्री आर० एन० राकेश | |
| (iii) श्री जय नारायण रोट | |
| (iv) श्री प्रभु नारायण टंडन | सदस्य |
| 3. अध्यक्ष द्वारा राज्य सभा के दो नामजद सदस्य :— | |
| (i) श्री सुधाकर पांडे | |
| (ii) श्री सत्यपाल मलिक | सदस्य |
| 4. अपर सचिव | सदस्य |
| 5. सचिव, राजभाषा विभाग | सदस्य |
| 6. शिक्षा विभाग में भाषा प्रभारी संयुक्त सचिव/ संयुक्त शिक्षा सलाहकार | सदस्य |
| 7. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 8. अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों का नामजद एक-एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 9. निम्नलिखित स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों का एक-एक प्रतिनिधि : | |
| (i) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली | |
| (ii) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास | |
| (iii) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद | |
| (iv) महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना | |
| (v) असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गोहाटी | |
| (vi) हिन्दी शिक्षक संघ डेगरापारा, कटक, उड़ीसा | |
| (vii) उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ईटानगर | |
| (viii) जे० एंड के० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, श्रीनगर, | |
| (ix) मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल | |
| (x) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद । | |
| 10. तीन विख्यात हिन्दी अध्येता | सदस्य |
| (i) डा० डी० एस० द्विवेदी, भाषा विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । | |
| (ii) डा० एस० रमन नायर, हिन्दी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय । | |
| (iii) डा० जय कृष्ण, 61, सिविल लाइन्स, रुड़की । | |
| 11. दो भाषा-विज्ञान विशेषज्ञ | सदस्य |
| (i) डा० अशोक केलकर, निदेशक, उच्च अध्ययन तथा भाषा-विज्ञान केन्द्र, दक्कन कालेज, पूना । | |
| (ii) डा० विद्या निवास मिश्र, निदेशक, के० एम० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान संस्थान, आगरा । | |
| 12. शिक्षा विभाग में हिन्दी के प्रभारी निदेशक/ उप सचिव/उप-शिक्षा सलाहकार | सदस्य सचिव |

स्थायी आमंत्रित व्यक्ति :

(i) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली ।

(ii) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ।

कार्यकाल :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल मूल रूप से 31 दिसम्बर, 1983 तक होगा बशर्ते कि :

(i) धारा 3 और 4 के अन्तर्गत नामजद को भी सदस्य, संसद में अपनी सदस्यता समाप्त होते ही, इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा;

(ii) समिति के पदेन सदस्य तब तक ही समिति के सदस्य बने रहेंगे जब तक वे अपने उस पद पर बने रहते हैं जिसकी वजह से वे इस समिति के सदस्य हैं;

(iii) अन्य नामजद सदस्य अपने-अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक भारत सरकार चाहेगी ।

(iv) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, आदि के कारण समिति में कोई पद रिक्त होता है तो ऐसे रिक्त पद पर नियुक्त सदस्य समिति के शेष कार्यकाल तक ही उक्त पद पर रह सकेगा ।

गणपूर्ति :

समिति की बैठकों की गण पूर्ति के लिये समिति के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य होंगे ।

कार्य :

समिति देश में हिन्दी के प्रसार तथा विकास सम्बन्धी नीति के मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगी ।

कार्यकारिणी उप-समिति :

समिति एक कार्यकारिणी उप-समिति नियुक्त कर सकती है ताकि समिति अपने विभिन्न कार्यों को कारगर ढंग से पूरा कर सके । सामान्यतः उप समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे । समिति का उप-अध्यक्ष उप समिति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । उप-समिति के अध्यक्ष को या तो समिति के सदस्यों में से ही अथवा बाहर से उन व्यक्तियों को जो, देश में हिन्दी के प्रसार तथा विकास की समस्याओं का विशेष ज्ञान तथा अनुभव रखते हों, सहयोजित करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी अहिन्दी भाषी राज्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित कर दिया जाए।

के० बी० खुल्लर
उप-सचिव (भाषाएं)

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 1982

संकल्प

सं० पी० 11011/1/81-पी० आर०—इस मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई, 1982 के संकल्प संख्या पी० 11011/8/77 पी० आर० के अधिक्रमण में केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। पुनर्गठित समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी :—

| | |
|---|---|
| 1. राज्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2. राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 3. राज्य मंत्री, उद्योग मंत्रालय | सदस्य |
| 4. राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय | सदस्य |
| 5. राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय | सदस्य |
| 6. राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय | सदस्य |
| 7. उप मंत्री, समाज कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 8. उप मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 9. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद | सदस्य |
| 10. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, असम, दिसपुर | सदस्य |
| 11. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, बिहार, पटना | सदस्य |
| 12. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, गुजरात, गांधी नगर | सदस्य |
| 13. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, हरियाणा, चण्डीगढ़ | सदस्य |
| 14. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, हिमाचल प्रदेश, शिमला | सदस्य |
| 15. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, जम्मू और कश्मीर | सदस्य |
| 16. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, कर्नाटक, बंगलौर | सदस्य |
| 17. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, केरल, त्रिवेन्द्रम | सदस्य |
| 18. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, मध्य प्रदेश, भोपाल | |
| 19. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, महाराष्ट्र, बम्बई | सदस्य |
| 20. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, मेघालय, शिलांग | सदस्य |
| 21. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, मणिपुर, इम्फाल | सदस्य |
| 22. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, नागालैण्ड, कोहिमा | सदस्य |
| 23. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उड़ीसा, भुवनेश्वर | सदस्य |
| 24. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, पंजाब, चण्डीगढ़ | सदस्य |
| 25. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 26. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, सिक्किम, गंगटोक | सदस्य |
| 27. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, तमिलनाडु, मद्रास | सदस्य |
| 28. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, त्रिपुरा, अगरतल्ला | सदस्य |
| 29. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | सदस्य |
| 30. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता | सदस्य |
| 31. मुख्य आयुक्त, अण्डमान व निकोबार, द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर | सदस्य |
| 32. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, अरुणाचल प्रदेश, इटानगर | सदस्य |
| 33. मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़, | सदस्य |
| 34. प्रशासक, दादरा और नगर हवेली प्रशासन, सिलवासा | सदस्य |
| 35. प्रभारी कार्यकारी पार्षद्, मद्य निषेध, दिल्ली (इस समय कार्यकारी परिषद के काम दिल्ली के उप-राज्य पाल द्वारा किए जा रहे हैं ) | सदस्य |
| 36. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, गोवा, दमन और दीव, पणजी | सदस्य |
| 37. प्रशासक, लक्षद्वीप प्रशासन, कावरत्ती, बाया मुख्य डाकघर कालीकट | सदस्य |
| 38. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, मिजोरम, ऐजल | सदस्य |
| 39. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, पाण्डिचेरी, पाण्डिचेरी | सदस्य |
| पदेन सदस्य | |
| 40. महा निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | |
| 41. महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली | |
| 42. गृह सचिव.....भारत सरकार | |
| 43. उद्योग सचिव.....भारत सरकार | |
| 44. शिक्षा सचिव.....भारत सरकार | |
| 45. स्वास्थ्य सचिव.....भारत सरकार | |
| 46. सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | |
| 47. संयुक्त सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय, मद्य निषेध प्रभारी | सदस्य सचिव |
| गैर सरकारी सदस्य : | |
| 48. श्री शंकर प्रसाद मिश्रा, संसद सदस्य | |
| 49. श्रीमती कृष्णा साही, संसद सदस्य | |
| 50. न्यायमूर्ति, वी० आर० कृष्णा अय्यर, 554, अन्ना सलाई, टेनाम्पेट, मद्रास-600018 | |

51. श्री वी० पद्मानाभन,
प्रबन्धक न्यासी,
गांधी ग्राम न्यास,
गांधी ग्राम पोस्ट-624302
मदुरै, जिला (तमिलनाडु)

52. श्री जिनाभाई दारजी,
कार्यकारी अध्यक्ष,
20 सूत्री व अन्य आर्थिक कार्यक्रम समिति,
सचिवालय, गांधीनगर-382010 (गुजरात)

53. डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह,
अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

54. श्री हामिद हुसैन,
16, तुलसीदास मार्ग,
लखनऊ (उ० प्र०)

55. डा० वी० मोहन,
एसोसिएट प्रोफेसर,
मनोचिकित्सा विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली-110029

56. श्रीमती सरोजिनी बरदाप्पन,
अध्यक्ष,
वीमन्स इंडिया एसोसिएशन,
43, ग्रीनवेज रोड,
मद्रास-28

57. श्री लवणम्,
निदेशक,
एथीइस्ट सेंटर,
बैन्ज सरकल, विजयवाड़ा-520006 (आन्ध्र प्रदेश)

58. श्रीमती डी० के० भण्डारी,
अध्यक्षा,
सिक्किम राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,
काजी रोड, गंगटोक,
(सिक्किम)

59. कुमारी निर्मला देशपान्डे
13, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली-110011

कार्य : 1. विभिन्न राज्यों में मद्य निषेध नीति और मद्य निषेध की प्रगति की आवधिक समीक्षा करना;

2. मद्य निषेध की नीति को अमल में लाने में राज्यों के सामने आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना तथा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना;

3. जिन क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू है और जिन क्षेत्रों में यह लागू नहीं है, उन दोनों में ही मद्य निषेध के हक में प्रचार को तेज करने के लिये उपायों का सुझाव देना;

4. नीचे दिए गए विषयों के सम्बन्ध में मद्य निषेध और विशेषकर मदात्यय के आर्थिक और सामाजिक तात्पर्यों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांख्यिकी अध्ययनों को बढ़ावा देना;

(क) एल्कोहल वाले पेयों और मादक द्रव्यों के उत्पादन में इस समय प्रयोग होने वाले कच्चे माल के वैकल्पिक आर्थिक उपयोग;

(ख) मद्य निषेध को लागू करने से जिन परिवारों के रोजगार के वर्तमान जरिए समाप्त हो जायेंगे, उनका पुनर्वास; तथा

5. निम्नलिखित कार्यों में लगी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;

1. मद्य निषेध और मद्य त्याग का प्रचार;

2. एल्कोहल और शराब के व्यसनियों की देखभाल और पुनर्वास;

3. मद्य निषेध से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान ।

समिति का कार्यकाल :

समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा अर्थात् 30 सितम्बर, 1985 तक।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वेद मारवा
संयुक्त सचिव

---

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई-1, दिनांक 13 सितम्बर 1982

संकल्प

सं० 38-एस० एच० (2)/81—भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं० 55-एम०ए० (5)/52, दिनांक 8 मई, 1954 यथा समय-समय पर संशोधित के साथ पठित नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं० 55-एम०ए० (1)/71, दिनांक 15-3-1974 के अनुसरण में नौवहन महानिदेशक नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पत्र सं० 1-एम०डी०एस० (28)/76-एमए, दिनांक 15-10-76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन में विशेष व्यापार वाली कल्याण समिति का गठन करने के

लिए निम्नलिखित सदस्यों को इस संकल्प की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. प्रधान अधिकारी<br>जल परिवहन विभाग<br>मद्रास | अध्यक्ष |
| 2. आप्रवासी प्रतिशासक,<br>मद्रास | शासकीय सदस्य |
| 3. पुलिस उपायुक्त<br>कानून व्यवस्था<br>मद्रास शहर | ,, |
| 4. यातायात उप प्रबन्धक 1<br>मद्रास पोर्ट ट्रस्ट<br>मद्रास | ,, |
| 5. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी<br>मद्रास | ,, |
| 6. राज्य पत्तन अधिकारी,<br>मद्रास | ,, |
| 7. सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता,<br>प्रीवेंटिव विभाग, मद्रास, | ,, |
| 8. श्री आर० प्रभु, संसद सदस्य<br>6/34, रेसकोर्स, रोड, कोइम्बटूर 18<br>(तमिलनाडु) | अशासकीय सदस्य |
| 9 श्री एन० विजयबालन,<br>विधान सभा सदस्य,<br>18, लथीफ कालोनी,<br>सेम्बनार कोइल,<br>मयूरम तालुक, (तमिलनाडु) | ,, |
| 10. श्री एस० बालाएह, एम० ए० बी० एल०,<br>नं० 195, रामप्पा चट्टी स्ट्रीट,<br>मद्रास (तमिलनाडु) | ,, |
| 11 श्रीमती सुशीला पद्मानाभन्,<br>नं० 45, बसुला रोड, टी० नगर,<br>मद्रास (तमिलनाडु) | ,, |
| 12. श्री एम० कृष्णस्वामी, बी० ए० बी० एल०,<br>एडवोकेट और समाजसेवक,<br>11 कार्यालय डेंकटाचल मुदली, स्ट्रीट,<br>मद्रास-600 005 (तमिलनाडु) | ,, |
| 13. श्री एस० एम० कृष्णन, एम० ए०,<br>पत्तन और डाक व्यापार श्रमिक यूनियन,<br>और समाज सेवक,<br>10 श्रीनिवास रोड,<br>मद्रास-600 017 (तमिलनाडु) | ,, |
| 14. श्री के० के० गजपथी,<br>समाज और लोक सेवक,<br>(मछली मार समुदाय)<br>नं० 203-डब्ल्यू, 23 क्रास, स्ट्रीट,<br>इंदिरानगर, मद्रास-600 020<br>तमिलनाडु | ,, |
| 15. श्री आर० श्रीनिवासन, कोषाध्यक्ष,<br>मद्रास कृषक समाज | अशासकीय सदस्य |
| 16. श्री पी० के० डेविड, महा सचिव,<br>अ० और नि० जिला कांग्रेस (आई), समिति,<br>पोर्ट ब्लेअर (अ० और नि० द्वीप) | ,, |

---

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति —

1. राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव, नई दिल्ली
2. प्रधान मंत्री के सचिवालय, नई दिल्ली
3. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (10 प्रतियों सहित),
4. मंत्री मंडल सचिवालय, नई दिल्ली ,
5. अध्यक्ष, योजना आयोग, नई दिल्ली,
6. नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, (10 प्रतियों सहित)
7. कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली,
8. वाणिज्य, सिविल पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली,
9. संचार मंत्रालय, नई दिल्ली,
10. संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली,
11. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली,
12. शिक्षा और समाज कल्याण, नई दिल्ली,
13. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली,
14. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली,
15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई दिल्ली,
16. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली,
17. उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली,
18. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली
19. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली,
20. रेल मंत्रालय, नई दिल्ली,
21. पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली,
22. पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली,
23. निर्माण और आवास मंत्रालय, नई दिल्ली,
24. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद,
25. मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटा नगर,
26. मुख्य सचिव, असम सरकार, डिसपुर,
27. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना,
28. मुख्य सचिव, गोवा, दमण, और दिव सरकार, पणजी,
29. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, अहमदाबाद,
30. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चन्डीगढ़,
31. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला,
32. मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर,

33. मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर,
34. मुख्य सचिव, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम,
35. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल,
36. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई,
37. मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग,
38. मुख्य सचिव, उड़िसा सरकार, भुवनेश्वर,
39. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चन्डीगढ़
40. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर,
41. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, मद्रास,
42. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ,
43. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता,
44. अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास,
45. भारतीय पोत स्वामियों का संगठन, बम्बई,
46. अध्यक्ष और सचिव, राष्ट्रीय बन्दरगाह मंडल, बम्बई,
47. प्रधान अधिकारी, जल परिवहन विभाग, बम्बई,
48. प्रधान अधिकारी, जल परिवहन विभाग, कलकत्ता,
49. प्रधान अधिकारी, जल परिवहन विभाग, मद्रास,
50. अध्यक्ष, और सदस्य, विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति, मद्रास,
51. जन सूचना ब्यूरो, बम्बई,
52. जन सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली,

को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व साधारण के सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बी० के० राव, नौवहन महानिदेशक

---

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 1982

संकल्प

सं० 6/4/82-ट्रान्स—राष्ट्रीय, जल विद्युत निगम लि० (रा० ज० वि० नि०) देश में विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्रों का निर्माण कर रहा है। चूंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड (उ० प्र० क्षे० वि० बो०) को विद्युत प्रणाली के प्रचालन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने होते हैं। अतः बोर्ड की गतिविधियों में घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को उपर्युक्त बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया है।

2. तदनुसार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के स्थापना सम्बन्धी तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल० 11-35 (10)/63, दिनांक 12 मार्च, 1964 के पैरा-2 में जिसको समय-समय पर संशोधित किया गया है, उसमें आगे संशोधन करके बोर्ड का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाएगा :—

1. विद्युत मंत्री, असम या उनका प्रतिनिधि।
2. विद्युत मंत्री, मणिपुर या उनका प्रतिनिधि ।
3. विद्युत मंत्री, अरुणाचल प्रदेश या उनका प्रतिनिधि।
4. विद्युत मंत्री, त्रिपुरा या उनका प्रतिनिधि।
5. विद्युत मंत्री, मेघालय या उनका प्रतिनिधि ।
6. विद्युत मंत्री, मिजोरम या उनका प्रतिनिधि।
7. मुख्य सचिव, नागालैण्ड, सरकार या उनका प्रतिनिधि।
8. मुख्य अध्यक्ष, असम राज्य बिजली बोर्ड ।
9. अध्यक्ष, मेघालय राज्य बिजली बोर्ड ।
10. अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक, उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि०
11. महाप्रबन्धक (विद्युत), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि०
12. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।

बोर्ड के सदस्यों के रूप में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र

अपने राज्यों के नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार बारी बारी से 1 वर्ष के लिए बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, तथा मिजोरम की राज्य सरकारों, असम और मेघालय, राज्य बिजली बोर्डों, उत्तर पूर्वी, विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत, निगम लि०, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को सूचित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० 6/4/82-ट्रान्स—राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० (रा० सा० वि० नि०) और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० (रा० ज० वि० नि०) देश में विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्रों का निर्माण कर रहे हैं। चूंकि पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड (पू० क्षे० वि० बो०) को विद्युत प्रणाली के प्रचालन से सम्बन्धित अनेक मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, बोर्ड की गतिविधियों में घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने के लिए इन्हें उपर्युक्त बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया है।

2. तदनुसार, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के स्थापना सम्बन्धी तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-II-35(7)/63, दिनांक 6 मार्च, 1964 के पैरा 2 में जो समय-समय पर संशोधित किया गया है उसमें आगे संशोधन किया जाएगा और बोर्ड का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड ।
2. अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम।
3. अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ।
4. अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ।
5., 6. व 7. पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा सरकारों द्वारा एक प्रतिनिधि समय-समय पर, यदि कोई हो, नामित किया जा सकता है।
8. प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर परियोजना लि०

9. अपर मुख्य इंजीनियर, विद्युत, विभाग, सिक्किम सरकार

10. कार्यपालक निदेशक (प्रचालन), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०

11. महाप्रबन्धक, (विद्युत), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि०

12. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि ।

13. सदस्य-सचिव, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ।

ऊपर (1) से (4) में बताए गए सदस्य बारी-बारी से एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प बिहार, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल की सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों, सिक्किम राज्य सरकार, दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर परियोजना लि० राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि०, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति, के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

---

## इस्पात और खान मंत्रालय

### नियमावली

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1982

सं. ए-12025/4/82-एम 2.—निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए 1983 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली सिंचाई मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

वर्ग 1 (भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, इस्पात और खान मंत्रालय के पद)

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क और

(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप ख

वर्ग II (केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, सिंचाई मंत्रालय के पद) सहायक जल-भू-विज्ञानी ग्रुप ख

1. उम्मीदवार उपर्युक्त पद वर्गों में से किसी एक या दोनों के लिए प्रतियोगी हो सकता है। उसे अपने आवेदन-पत्र में उन पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए जिनके लिए वह वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है।

जिन पद वर्ग/वर्गों के लिए उम्मीदवार परीक्षा में बैठ रहा है उनके सम्बन्ध में उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं के परिवर्तन सम्बन्धी किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार के परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध रोजगार समाचार में लिखित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के अन्दर या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त न हो जाए।

2. उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू में अस्थायी रूप में की जायेंगी। जैसे ही स्थायी रिक्तियां होंगी उम्मीदवार अपनी बारी में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये जायेंगे।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जाएंगे।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से आयोजित की जाएगी ।

परीक्षा कब और कहां होगी, यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

5. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया (भूतपूर्व टंगानीका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है; किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 1983 को 21 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1953 से पहले और 1 जनवरी, 1962 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम-I में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित हैं और यदि वे कालम-II में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 7 वर्ष की छूट दी जाएगी :—

| कालम-I | कालम-II |
|---|---|
| भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण | भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क सहायक भूविज्ञानी, ग्रुप ख |
| केन्द्रीय भू जल बोर्ड | सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप ख |

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में और छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति हैं और 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है तथा 1 जनवरी, 1964 से 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ हो या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथीयोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से प्रव्रजन कर आया है या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया से भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिक से अधिक 8 वर्ष;

(8) यदि उम्मीदवार बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(10) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(11) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(12) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) है और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(13) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा भी उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(14) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1983 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1983 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(15) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1983 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई

शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1983 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक;

(16) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रवृजन कर आया है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(17) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रवृजन कर आया है तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

उपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

**ध्यान दें :—**

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन-पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन-पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद में छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा ।

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु सम्बन्धी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता, बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र विधिवत अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो।

7. उम्मीदवार के पास :—

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भू-विज्ञान या प्रयुक्त भू-विज्ञान या समुद्र भू-विज्ञान में 'मास्टर' डिग्री, या

(ख) भारतीय खान विद्यालय धनबाद से प्रयुक्त भू-विज्ञान में एसोशिएटशिप का डिप्लोमा,

(ग) कर्नाटक विश्वविद्यालय से खनिज अन्वेषण में एम. एस. सी. डिग्री (केवल भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण) के पदों के लिए ।

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल-भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री (केवल केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में पदों हेतु)

**नोट 1 :—**यदि उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 30 जुलाई, 1983 तक प्रस्तुत नहीं करते तो वह अनुमति रद्द की जा सकता है।

**नोट 2 :—**विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके ।

**नोट 3 :—**जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है, किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है, तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

9. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

10. उक्त परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति के छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो।

(12) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से

वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा उन्मत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवेक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा :

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षा के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाये जा सकते हैं तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

14. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाये गये हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए अनुशंसित किये जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षा फल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

16. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विभिन्न पदों के लिये बताये गये वरीयता क्रम पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जायेगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, किसी उम्मीदवार के बारे में यह शक हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। जिन उम्मीदवारों के नियुक्त किये जाने की संभावना है। केवल उन्हीं की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी। डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवार शुल्क के रूप में रु. 16.00 का भुगतान मेडिकल बोर्ड को करेंगे।

**नोट :**—निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी परीक्षा करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट 2 में दिये गये हैं। विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जायेगी।

19. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

20. इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के सम्बन्ध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

एच. एल. अतरी, अवर-सचिव

## परिशिष्ट 1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जायेगी :—

भाग 1—नीचे पैरा दो में दिये गये विषयों में लिखित परीक्षा ।

भाग 2—आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों (देखिये नीचे पैरा 7) का है।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जायेगी :—

| विषय | कोड सं० | समय | पूर्णांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) सामान्य अंग्रेजी | 01 | 1½ घंटा | 100 |
| (2) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र I जिसमें सामान्य भू-विज्ञान भू-आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भू-विज्ञान, स्तरक्रम विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान होंगे | 02 | 3 घंटे | 200 |
| (3) भू-विज्ञान प्रश्न पत्र II, जिसमें क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान होंगे | 03 | 3 घंटे | 200 |
| (4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र III, जिसमें भारतीय खनिज निक्षेप, खनिज अन्वेषण, खनिज अर्थशास्त्र और आर्थिक भू-विज्ञान होंगे | 04 | 2 घंटे | 150 |
| (5) जल भू-विज्ञान | 05 | 2 घंटे | 150 |

नोट :—वर्ग 1 और वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे। केवल वर्ग 1 के अन्तर्गत पदों के लिये प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होंगे।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णतः 'वस्तु परक' (बहु विकल्प उत्तर) प्रकार की होगी। नमूने के प्रश्नों सहित विवरण के लिए कृपया आयोग के नोटिस के अनुबन्ध 2 पर "उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका" देखिये।

4. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे।

5. उम्मीदवारों को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए । उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

6. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निश्चित कर सकता है।

7. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं ।

8. व्यक्तित्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधाशक्ति, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जस्विता, प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

## अनुसूची

### स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है । भूवैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम. एस. सी. डिग्री-स्तर के होंगे और सामान्यतः प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे उम्मीदवारों की विषय की समझ का पता लग सके ।

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

### (1) सामान्य अंग्रेजी (कोड 01)

अंग्रेजी भाषा की समझ और अभिव्यक्त करने की शक्ति की जांच करने के प्रश्न दिए जायेंगे ।

### (2) भूविज्ञान प्रश्न पत्र 1 (कोड—02)

**क—सामान्य भू-विज्ञान—भू उद्गम**

महाद्वीप और महासागर—उनका विभाजन, विकास और उद्गम । महाद्वीपीय विस्थापन, महासागर विस्तारण और प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना पुराजलवायु और उनकी विशेषता । समस्थिति । पुराचुम्बकत्व । विघटनाभिकता और उसका भू-विज्ञान में अनुप्रयोग । भूकालानुक्रम और भू-काल । भूकम्पविज्ञान और भूगर्भ । भूअभिनति । ज्वालामुखीयता । द्वीप चाप गम्भीर, सागर, खाइयां और मध्य महासागरीय कटक । कोरल रीट्। पर्वतन और महादेश रचना । पर्वतनी चक्र।

**ख—भू आकृति विज्ञान—**भू आकृतिक प्रक्रम लक्षण और उनके प्राचल । भूआकृतिक चक्र और उनका अर्थ निर्वचन । स्थलाकृति और संरचनाओं से इसका सम्बन्ध । मृदा ।

**ग—संरचनात्मक भूविज्ञान—**चट्टानों के भौतिक गुण। विरूपण-भंजन और वलन—उनकी यांत्रिकी। प्राथमिक संरचना। संरेखण, शल्कन और जोड़ । वितल अन्तर्वेधी और लक्षण गुम्बद। संस्तरों के शीर्ष तथा तल की पहचान । विषय विन्यास पटल विरूपण । शैल सविन्यासी विश्लेषण।

**घ—स्तरिकी—**स्तरिकर के सिद्धांत तथा नामपद्धति। विश्व स्तरिकी तथा पुराभूगोल की रूपरेखायें। भूविज्ञान की विभिन्न प्रणालियां के प्ररूप अनुमान। गोंडवाना प्रणाली तथा गोंडवाना महाखण्ड ।

भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश) की स्तरिकी तथा पुराभूगोल प्रमुख भारतीय शैल समूह में सहसंबंध । भारतीय स्तरिकी में काल विषयक समस्याएं ।

**ङ—पुराभूगोल** (क) जीवाश्म, उनके प्रकार, संरक्षण पद्धति तथा प्रयोग । अकशेरुकियों का आकृति-विज्ञान, वर्गीकरण तथा भूविज्ञान सम्बन्धी इतिहास; प्रवाल; भुजपाद, पटल क्लोम, एमोनाइटीज, जठरपाद, ट्राइलोबाइटीज; शूल चर्मी; ग्रेप्टोलाइटस और फार्मिनीफर्स।

(ख) गोंडवाना तथा शिवालिक प्राणिजात पर बल देते हुए कशरूकियों के प्रमुख समूह। मानक, हाथी तथा घोड़ा का विकास वृत्त।

(ग) गोंडवाना वनस्पति पर बल सहित जीवाश्म वनस्पति तथा इसका महत्व और वितरण।

(घ) सूक्ष्मपुराभूगोल : फोरेमिनीफराइडस के विशेष सन्दर्भ में इसका महत्व, उनकी पारिस्थिति विज्ञान तथा पुरास्थिति विज्ञान।

(3) भूविज्ञान प्रश्न पत्र 2 (कोड 03)

क—क्रिस्टल विज्ञान

क्रिस्टलों के सममिति तत्व तथा वर्गीकरण। प्रक्षेप—गोलीय तथा त्रिविम, 32 क्लास (बिन्दु समूह)। यमलम तथा क्रिस्टल अपूर्णता।

ख—वर्णनात्मक खनिज विज्ञान

खनिजों के भौतिक, रसायनिक, वैद्युत, चुम्बकीय तथा तापीय गुण धर्म। सिलिकेटों की संरचना तथा वर्गीकरण।

आलिवीन ग्रुप, गार्नेट ग्रुप, एमिलाइट ग्रुप और मलिलाइट ग्रुप। जरकान, स्फीन, सिलिमनाइट, एन्डालसाइट, कायनाइट, पुखराज, स्टारोलाइट, बैरिल, कार्डिएराइट, टूरमैलीन। पाइराक्सीन ग्रुप और एम्फिबोल ग्रुप। वोलेस्टोनाइट और रोडोनाइट। अभ्रक समूह, क्लोराइट ग्रुप तथा मृतिका खनिज। फेल्डस्पार ग्रुप, सिलिका मिनरल्स फेल्सपैथाइड ग्रुप। जियोलाइट ग्रुप तथा स्कैपोलाइट ग्रुप। आक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स कार्बोनेट्स, फास्फेट, हैलाइड्स, सल्फाइट्स तथा सल्फेट्स।

ग—प्रकाशित खनिज विज्ञान

प्रकाशिकी के सामान्य सिद्धांत। प्रकाशिक उप साधन। अपवर्तन, द्विअपवर्तन, विलोप कोण, बहुवर्णता। प्रकाशिक दीर्घवतज, प्रकाशिक अक्षीय कोण। प्रकाशक अभिविन्यास परिक्षेपण। प्रकीर्णन। प्रकाशिक विसंगतियां।

घ—शैलविज्ञान

(1) आग्नेय : स्वरूप संरचना, गठन और वर्गीकरण। ग्रेनाइट—ग्रेनोडायोराइट। साइनाइट—नेफेलाइन साइनाइट। ग्रेबोपेरीडोटाइट-डुनाइट। डालराइट, लैम्प्रोफायर, पैग्माटाइट, एप्लाइट, आर्जोलाइट तथा कार्बोनाटाइट। रियोलाइट, ट्रेकाइट, डैकाइट, एन्डेजाइट तथा बेसाल्ट।

सिलिकेट सिस्टम में प्रावस्था नियम तथा साम्यता। द्विघटक तथा त्रिघटक तन्त्र। क्रिस्टलीकरण क्रम। अभिक्रिया सिद्धांत/ क्रिस्टलीकरण—अनेकता। विभिन्नता। विभिन्नता आरेख। ग्रेनाइट्स, मोनोनिनरलिक तथा क्षारीय शैल, कार्बोनाटाइट्स, पैनाटाइट्स तथा लम्प्रोफायरों का उद्गम।

(2) अवसादी : वर्गीकरण तथा बनावट। अवसादों का मूल। गठन और संरचना। अवसादी शैलों के प्रमुख समूहों का अध्ययन। अवसादों का यांत्रिक विश्लेषण। निक्षेपण की पद्धतियां। पराधारायें तथा द्रोणी विश्लेषण। अवसादों का उद्गम क्षेत्र। विक्षेपणीय पर्यावरण, भारी खनिज तथा उनका महत्व। शिली भवन तथा प्रसंघनन।

(3) कायान्तरित शैल : कायान्तरण के कारण, प्ररूप, नियंत्रण, संरचना, श्रेणी तथा संलक्षण। कायान्तरी विभेदन। तत्वांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन। अभिसंरचना, कणिकाश्म, घानोकाइट, ध्रोलाइट्स, शिस्ट, नाईसिसेज और हार्नएम्फिसफेल्स। मेडसा और ओरोजनी के संबंध में कायान्तरण।

ङ—भू-रसायन विज्ञान

अवयवों का अन्तरिक्षी बाहुल्य, पृथ्वी का प्रारम्भिक भू-रासायनिक विभवन, अवयवों का भू-रासायनिक वर्गीकरण, अनुरेख अवयव। जल का भू-रसायन विज्ञान। अवयादों का भू-रसायन विज्ञान, भू-रासायनिक चक्र तथा भू-रासायनिक पूर्वेक्षण के सिद्धांत।

(4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-3 (कोड-4)

क—भारतीय खनिज निक्षेप

निम्नलिखित धातु तथा अधातु अयस्कों और खनिजों का भारतीय निक्षेप, जो उनके वितरण, उपस्थिति तथा उद्गम प्रणाली के सन्दर्भ में हो;

(क) तांबा, सीसा, जस्त, एल्युमिनियम, मैगनेशियम, लोहा, मैगनीज, क्रोमियम, सोना, चांदी, टंगस्टेन तथा मोलिब्डेनम।

(ख) अभ्रक, वाल्क्यूलाइट, एस्बेस्टस, बेरीटिस, ग्रेफाइट, जिप्सम, गरिक, मूल्यवान तथा अल्पमूल्य खनिज, उच्चतापसह खनिज, अपघर्षी तथा मत्तिका-शिल्प हेतु खनिज, कांच, उर्वरक, सीमेंट, प्रलेख तथा वर्णन उद्योग निर्माणी पत्थर।

(ग) कोयला, पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा खनिज।

ख—खनिज अन्वेषण

पृष्ठीय तथा अपृष्ठीय अन्वेषण की पद्धतियां, क्षेत्रगत उपस्कर तथा अन्वेषण हेतु क्षेत्रगत परीक्षण; अयस्क निक्षेपों का पता देने वाले निदेश, अयस्क निक्षेपों का प्रतिचयन, आमापन और मूल्यांकन। खनिज अन्वेषण में भू-भौतिक, भू-रासायनिक तथा भूवैदिक सर्वेक्षणों का अनुप्रयोग।

ग—खनिज अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में खनिजों का महत्व। विनिर्माण उद्योगों में विभिन्न खनिजों का प्रयोग। मांग, आपूर्ति और प्रतिस्थापन भारत के प्रमुख खनिजों का उत्पादन तथा मूल्य। खनिज उद्योगों के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू। सामरिक, कांतिक और अनिवार्य खनिज। संरक्षण तथा राष्ट्रीय खनिज नीति। खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति।

घ—आर्थिक भूविज्ञान

खनिज निक्षेप—रूपण प्रक्रिया, स्थानिकीकरण का नियंत्रण तथा वर्गीकरण। आवश्यक धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का अध्ययन, जो उनकी खनिजीयता, उपस्थिति तथा वितरण के सन्दर्भ में किया गया हो।

5. जल-भूविज्ञान (कोड 05)

जल-भूविज्ञान चक्र। भूपर्पटी में जल वितरण। जलीय चक्र में भू-जल आकाशी, मैग्मज और मैग्मीय जल और स्रोतों का उदभव। जलधारी लक्षणों की दृष्टि से शैलों का वर्गीकरण, जल स्तरिकी एकक। भूजल की उपस्थिति के अनुकूल भू-वैज्ञानिक संरचना, भू-जल क्षेत्र। भू-जल भंडार—जल भर, मितजलभृत, अक्वीटार्ड्स। जलभरों का वर्गीकरण।

शैलों के जलवैज्ञानिक गुणधर्म (भू-जल भंडार)—संरध्रता रिक्ति अनुपात, चुम्बकशीलता, पारगम्यता, स्टोरेटिविटी, आपेक्षिक पराभव, आपेक्षिक धारिता, विसरणशीलता। भू-जल भंडार के गुणधर्मों की पहचान की पद्धतियां—कूप पद्धतियों

तथा प्रयोगशाला प्रविधियों के विसर्जन द्वारा चुम्बक शीलता और आपेक्षिक पराभव। स्टोरेटिविटी की पहचान। भू-जल की गति प्रदान करने वाले बल। भू-जल के युति और क्षेयी प्रयोग।

भू-जल अन्वेषण की पृष्ठीय तथा उपपृष्ठीय प्रविधियां—भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतिक—जल संतुलन। भू-जल निष्कर्षण की प्रविधियां (कूप-प्ररूप सर्वाधिक उपज हेतु विभिन्न प्रकार के शैल—क्षेत्रों में कूप-निर्माण की पद्धतियां)। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों—घर, उद्योग तथा सिंचाई संबंधी के संदर्भ में भू-जल के रासायनिक लक्षण, जल प्रदूषण।

## परिशिष्ट-2

## उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सकें कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। उन रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग कर्मचारियों के मामले में पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए, स्तर में छूट दी जाएगी।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाएं। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उस माप दण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगूठों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे मापदंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों के भागों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उनकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा अंसफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल/प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84–89, 86–93.5 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधी सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

ध्यान दें :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिएं।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधा किलोग्राम या उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(1) सामान्य (जनरल) :—किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मेलिटि) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार को आंखों पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कान्टिगुअस स्ट्रक्चर्स) का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता है, तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्युइटी) :—दृष्टि तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना तीक्ष्णता का मानक निम्न-निम्नलिखित होगा :—

| | दूर की दृष्टि | | निकट की दृष्टि | |
|---|---|---|---|---|
| | अच्छी आंख | खराब आंख | अच्छी आंख | खराब आंख |
| 35 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों के लिए | 6/9 अथवा 6/6 | 6/9 अथवा 6/12 | 0.6 | 0.8 |

नोट : (1) मायोपिया का कुल परिमाण (सिलेंडर सहित) 4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया का कुल परिणाम (सिलेंडर सहित+ 4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोट : (2) फंडस परीक्षा : जहां तक संभव होगा चिकित्सा बोर्ड की विवक्षा पर फंडस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा ।

नोट : (3) कलर विजन :

(1) कलर विजन की जांच जरूरी होगी ।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए। लो लैटर्न में एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा।

| ग्रेड | रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड | रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड |
|---|---|---|
| 1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी | 4.9 मीटर | 4.9 मीटर |
| 2. द्वारक (एपर्चर) का आकार | 1.3 मि० मीटर | 1.3 मि० मीटर |
| 3. उद्भाषण काल | 5 सेकेंड | 5 सेकेंड |

जनता की सुरक्षा से सम्बद्ध सेवाओं के लिए अर्थात पायलेटों, ड्राइवरों, गार्डों आदि कलर विजन का उच्चतर ग्रेड आवश्यक है किन्तु अन्य के लिए कलर विजन का निम्नतर ग्रेड उपयुक्त समझा जाएगा। कलर विजन का यही स्तर समस्त इंजीनियरी कार्मिकों के सम्बन्ध में भी लागू होगा, जिन मामलों में रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक हो चाहे उनकी ड्यूटी क्षेत्रगत (फील्ड वर्क) से संबद्ध हो या नहीं।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है इशिहारा के प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन की लैटर्न जैसी उपर्युक्त लैटर्न और उसके रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों अंखों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन, सड़क, रेल, और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिये।

नोट : (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) : सम्मुख विधि (कन्फ्रन्टेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। अब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को प्ररमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

नोट : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस) :—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है । रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टेंडर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिएं जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए :—

नोट : (6) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की दशाएं (आक्युलर कन्डीशन्स) :

(क) आंख को अंग सम्बन्धी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रैक्टिव एरेर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता से कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) : रोहे जब तक भयानक न हों साधारणतः अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(ग) भेंगापन : जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति : एक आंख वाले व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जाएगी।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर) :—

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल मेक्सीमम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन का काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 आयु होता है।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन मे 110+आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें :—सामान्य नियम के रूप में 140 एम.एम. के ऊपर सिस्टालिक प्रैशर और 90 एम.एम. के ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्धत मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कापिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रो-कार्डियोग्राफी जांच रक्त यूरिया निकाय (क्लियरेंस) की जांच भी नमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :—

नियमित : पारे वाले दाबमापी (मर्करी मानोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्तें कि वह और विशेष-कर उसकी बांह शिथिल और आराम मे हो। बांह थोड़ी बहुत होरिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर ही तथा उसके कंधे से कपड़ा उतार देने चाहिएं। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अंदर की ओर रख कर और उसके निचले [illegible] कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके [illegible] बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से [illegible] चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बाहु धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथोस्कोप को हल्के से लाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम.एम.एच.जी. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रामक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्थालिक प्रैशर दर्शाता है, जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनीयां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय: हो जाएं यह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं; दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती है। इस 'साइलेंट गैप' से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के घातक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है इसका ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालेरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड का "फिट" "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला 12 हफ्ते उम्मीद या इससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वस्थता परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपबन्ध भारतीय रेल भंडार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, सेना इंजीनियरी सेवा, तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप के तार यातायात सेवा ग्रुप ख, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप पर लागू नहीं है। किस्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :—

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (1) | एक कान से प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा काम सामान्य होगा। | यदि फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबिल तक हो तो गैरतकनीकी काम के लिए योग्य। |
| (2) | दोनों कानों से बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिससे श्रवण यंत्र (हियरिंग ऐड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो। | यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच-फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबिल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य। |
| (3) | सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्ब्रेन छिद्र। | (i) एक कान सामान्य हो दूसरे काम में टिमपेनिक मेम्ब्रेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य।<br>कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है।<br>(ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य।<br>(iii) दोनों कानों में से टूल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य। |
| (4) | कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड कैविटी से सब-नार्मल श्रवण। | (i) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान में सब-नार्मल-श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए योग्य।<br>(ii) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण-यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबिल हो जाने पर गैर-तकनीकी कानों के लिए योग्य। |
| (5) | बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला। | तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए अस्थायी रूप में अयोग्य। |
| (6) | नासापुट की हड्डी संबंधी विषमताओं (डीनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रवाहक एलर्जिक दशा। | (i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।<br>(ii) यदि लक्षणों सहित नासापुट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (7) | टॉसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र (लैरेन्क्स) की जीर्ण प्रवाहक दशा। | (i) टॉसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य। |
| | | (ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य। |
| (8) | कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर। | (i) हल्का ट्यूमर—अस्थायी रूप से अयोग्य। |
| | | (ii) दुर्दम ट्यूमर—अयोग्य। |
| (9) | आस्टोकिरोसिस | श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबिल के अन्दर होने पर योग्य। |
| (10) | कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष। | (i) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य। |
| | | (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य। |
| (11) | नेजल पोली | अस्थायी रूप से अयोग्य। |

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकोसील, वेरिकाज-शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों, और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती है या नहीं।

(झ) उसको कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिन से कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगार टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़े की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

नोट :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने के लिए कोई हक नहीं है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करें तो इस प्रमाण पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जबकि उसमें संबंधित मेडिकल प्रैक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

**मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट**

मेडिकल परीक्षक के मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनैस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैन्डर्ड से संबंधित उम्मीदवारों की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) की यह तसल्ली नहीं कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फार्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यहीं प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिये जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया जाता हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) और सहायक भू-विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें भारत में या भारत से बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताए जा

सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) दूर हो सकती है वहां मेडिकल द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिये। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए स्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए हुए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें————————————

(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं————————————

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड जन जाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। उत्तर हां में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमटिज्म ऐपेंडिसाइटिस हुआ है?

(ग) क्या दूसरी ऐसी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का टीका आखिरी बार कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई।

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

| यदि पिता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण | आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|---|---|
| | | | |

| यदि माता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण | आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उन की आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|---|---|
| | | | |

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?

8. यदि ऊपर का उत्तर हां में हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ?————————

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो————————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर

किए————

बोर्ड के अध्यक्ष के

हस्ताक्षर————————

नोट :— उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा। जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाऊंस) या या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख)————————(उम्मीदवार का नाम)

शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट————————

1. सामान्य विकास :———अच्छा———ठीक का————

पोषण : पतला————————औसत————————

मोटा————————को ————————

————————कद (जूते उतारकर) ————वजन

में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन————————

तापमान :————————

छाती का घेर————————

(1) पूरा सांस खींचने पर ————————

(2) पूरा सांस निकालने पर ————————

2. त्वचा—कोई जाहिरी बीमारी ————————

3 नेत्र :—

(1) कोई बीमारी ————————

(2) रतौंधी ————————

(3) कलर विजन का दोष ————————

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) ————————

(5) कंजर की जांच ————————

(6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी) ————————

(7) तिमिर संगलन की योग्यता ———————

| दृष्टि की तीक्ष्णता | चश्मे के बिना | चश्मे से | चश्मे की पावर गोल सिलिण्ड्रिकल |
|---|---|---|---|
| दूर की नजर | दा०ने० | | |
| | बा० ने० | | |
| पास की नजर | दा० ने० | | |
| | बा० ने० | | |
| हाईपरमेट्रोपिया (व्यक्त) | दा० ने० | | |

4. कान: निरीक्षण ——————— सुनना

बायां कान ———बायां कान ———

5. ग्रंथियां ——— थाईराइड ———

6. दांतों की हालत ———————

7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटरी सिस्टम)—का शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों से किसी असमानता का पता लगा है। यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें———

8. परिसंचरण तंत्र (सरक्यूलिटरी सिस्टम)

(क) हृदय और आंगिक गति (अर्गेनिक लीजम——

गति (रेट) :

खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद———————

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद ———————

(ख) ब्लड प्रैशर ——————सिस्टालिक ———— डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेरा ———————स्पर्शसह्यता

हार्निया ———————

(क) दबाकर मालूम पड़ना: जिगर ———————

तिल्ली ———गुर्दे———

ट्यूमर ———————

(ख) रक्तार्श ———————

भगंदर ———————

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वससिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अपसामान्यता का संकेत ———————

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) :

कोई अपसामान्यता ———————

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम) ———————

हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत :

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है?

(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बूमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट्स

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट———————

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता सकता है।

नोट :—महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए देखें विनियम 9।

15 (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिए जाने के किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए यह अयोग्य पाया गया है।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य है।

नोट :— बोर्ड को अपना निर्णय निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) योग्य

(ii) ———————के कारण अयोग्य

(iii) ———————के कारण अस्थायी रूप से अयोग्य

स्थान ——————— अध्यक्ष ———————

तारीख ———————सदस्य ———————

## परिशिष्ट III

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनके संबंध में संक्षिप्त विवरण।

### भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा। आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित वेतनमान :

(i) भूविज्ञानी (कनिष्ठ) (कनिष्ठ वेतनमान) रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300.

(ii) भूविज्ञानी (वरिष्ठ) (वरिष्ठ वेतनमान) रु० 1100-50-1600।

(iii) निदेशक (भूविज्ञान)—रू० 1500-60-1800-100-2000

(iv) उपमहानिदेशक / (भूविज्ञान)—रू० 2250-125/2-2500.

(v) वरिष्ठ उपमहानिदेशक (परिचालन)—रू० 2500-125/2 2750.

(vi) महानिदेशक—रु० 3000 (नियत)

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी।

(छ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप ख—

(क) नियुक्ति हेतु, चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) वेतन का निर्धारित वेतनमान : रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

(घ) भू-विज्ञानी (ग्रुप क—कनिष्ठ वेतनमान) के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में सहायक भू-विज्ञान के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाएगी ।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख क्रमशः सरकार द्वारा समय समय पर यथा आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में किया गया है ।

(च) भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख सरकार द्वारा समय समय पर यथा आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में किया गया है ।

(छ) सहायक भू-विज्ञानिकों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

2. सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा यदि आवश्यक समझा गया, तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) वेतन का निर्धारित वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द०-रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

(ग) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (ग्रुप क) के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः समय समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय नियमों पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के सहायक जल विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाएगी ।

(घ) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं ।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं ।

(च) सहायक जल भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

---

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1982

सं० यू०-13019/7/82-ए० एन० एल०(i)—राष्ट्रपति, गृह मंत्री से सम्बद्ध लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की सलाहकार समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को 31-3-1983 तक की अवधि के लिये नामित करते हैं :—

1. श्री उमेरोवा चेरिया कोया थंगल (यू० सी० के० थंगल), कावारत्ती
2. श्री के० एन० के० हमीद, कावारत्ती
3. श्री के० सोम मणिकफन, मिनिकाय
4. श्री अलोयाथरा जलालुद्दीन कोया, अन्दरोथ
5. श्री पोक्कीकम शैक कोया, अमीनी
6. श्री थेक्किला इल्लाम कोयम्मा, कदमत
7. श्रीमती मथिरा बीबी, कालपेनी
8. श्री ए० मिस्बा, चेतलत ।

श्री अलोयाथरा जलालुद्दीन कोया सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

सं० यू०-13019/7/82-ए० एन० एल०(ii)—राष्ट्रपति, प्रशासक, लक्षद्वीप से संबद्ध सलाहकार परिषद में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को 31-3-1983 तक की अवधि के लिये नामित करते हैं :—

1. श्री मेलापुरा चेरियाकोया, कावारत्ती
2. श्री डब्ल्यू० हुसैन अली, मिनिकाय
3. श्री के० नलकोया थंगल, अन्दरोथ
4. श्रीमती असराबेत्ता मैमूनाथ, कदमत
5. डा० के० के० मोहम्मद कोया, कालपेनी
6. श्री पूची नोवा पूकोया, कालपेनी
7. श्री बलियापथोड़ा अमानुल्ला, किल्टन
8. श्री पटक्कल पूकोया, अमीनी
9. श्री पी० शाहबुद्दीन हाजी, अगत्ती
10. श्री मरियम पवियोदा कोयम्मा, हाजी, अगत्ती
11. श्री पी० मोहम्मद कोया, चित्रा ।

उमा पिल्लै, उप सचिव

---

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

लिपिक श्रेणी परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारियों के लिए 1982

नियम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 अक्तूबर 1982

सं० 9/3/82-के० से०-II—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के ग्रेड-VI के अवर श्रेणी ग्रेड, संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त ग्रुप "घ" कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से, गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1982 में ली जाने वाली अर्हक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे वे निम्नलिखित सेवाओं की रिक्तियों के पात्र होंगे :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं;

(ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त हैं ;

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-VI यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेशों में इसके दूतावासों में नियुक्त हैं ; और

IV. संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में ।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाएगी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाएगा ।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय: उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950;

---

संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950;

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951;

संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951;

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956;

बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966;

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार;

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;

संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959;

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962;

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962;

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;

संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश, आदेश, 1967;

संविधान (गोवा, दमन तथा द्वीप) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968;

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970; और

अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा । किस तारीख और किस/किन स्थान(नों) पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा ।

4—271 GI/

4. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थाई ग्रुप "घ" कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

I—सेवा अवधि : उसने (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा (ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा अन्तर सेवा संगठनों अथवा (iii) विदेश मंत्रालय अथवा विदेशों में इसके दूतावासों अथवा (iv) संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड में 1 अगस्त 1982 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो ।

टिप्पणी 1—5 वर्ष की अनुमोदित एवं लगातार सेवा की सीमा तक भी लागू होंगी, यदि उम्मीदवार की कुल गिनती की जाने वाली सेवा आंशिक रूप में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय अथवा किसी कार्यालय में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप से अन्यत्र उसके समकक्ष या उच्चतर ग्रेड में या विदेश मंत्रालय में और विदेशों में इसके दूतावासों अथवा संसदीय कार्य विभाग में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में हो ।

टिप्पणी 2 :— जो ग्रुप "घ" कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जो ग्रुप "घ" कर्मचारी संवर्ग-बाह्य पद पर नियुक्त किया गया है अथवा स्थानान्तरण पर अन्य सेवा में और फिलहाल ग्रुप "घ" के पद पर उसका ग्रहणाधिकार बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है ।

II. आयु :—वह 1 अगस्त, 1982 को 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए, अर्थात् 2 अगस्त, 1932 से पहले उसका जन्म न हुआ हो ।

यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तो उपर्युक्त निर्धारित आयु-सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है ।

ऊपर बनाई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी ।

III. शैक्षणिक अर्हता—भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के

अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण-पत्र, जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण-पत्र के समकक्ष माना जाता है, यह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास की होनी चाहिए ।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा है, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी 2 :—कुछ विशिष्ट मामलों में, जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है ।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपयोग का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो, उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।

9. परीक्षा के बाद आयोग प्रत्येक संबंधित संवर्ग प्राधिकारी को इस परीक्षा में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के नामों की अलग से सिफारिश करेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए अर्हक मानक प्राप्त करेंगे । संवर्ग प्राधिकारी अपने द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार भरी जाने वाली निर्णीत की गई रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति करने के कदम उठायेंगे ।

आयोग को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक मानक में छूट देने का विवेकाधिकार है ।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी जिनके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो ।

टिप्पणी :—विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवाओं के सैन्य-विघटन चिकित्सा-

बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

11. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा ली गई अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले ही पास न की हो तो यह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा । ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नही कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जाएगी ।

यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जाएगा ।

टिप्पणी :—परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त जिस उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास कर ली हो या जो अपनी नियुक्ति के 6 मास के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा उसे पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाए छः महीने के बाद ही दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा ।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने गुण (घ) पद की नियुक्ति से त्याग-पत्र दे देता है अथवा/और किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है अथवा उससे संबंध-विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा वह किसी संवर्ग-बाह्य पद पर अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त हो जाता है और ग्रुप "घ" पद पर उसका पुनः ग्रहणाधिकार नहीं रहता है, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह बात उस ग्रुप "घ" कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी :—

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

| पत्र सं० | विषय | पूर्णांक | दिया गया समय |
|---|---|---|---|
| I. | लघु निबन्ध | 100 | 1-1/2 घंटा |
| II. | सामान्य अंग्रेजी | 50 | 1 घंटा |
| III. | भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान | 50 | 1 घंटा |

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताया गया है ।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्न पत्र I या प्रश्नपत्र III या दोनों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि) में किसी में दें । प्रश्नपत्र II के उत्तर सब उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिए । प्रश्न पत्र III में छूट पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगी, इस प्रश्न पत्र के अलग-अलग प्रश्नों के लिए नहीं ।

टिप्पणी 2:—उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन-पत्र में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे ।

टिप्पणी 3:—एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं होगा ।

टिप्पणी 4:—उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालिफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. केवल छिदले ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए पूर्णांक के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे ।

पाठ्य क्रम

प्रश्न पत्र I :— लघु निबन्ध दिए गए कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

प्रश्न पत्र II :— सामान्य अंग्रेजी—उम्मीदवारों को साधारण बंध-रचना, व्यावहारिक व्याकरण तथा प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की योग्यता जांचने के लिए) में परीक्षा ली जाएगी।

प्रश्न पत्र III :— भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान—सामायिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टि गोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव, जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने कि किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

## DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-1, the 15th September 1982

No. 14/11/78-CTE.—It is notified for general information that Dr. I. B. Gulati, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun has been appointed as Chairman, Coordination Council, Chemical Sciences Group with effect from 1-10-1982 to 30-9-1984 in place of Dr. G. Thyagarajan, Director, Regional Research Laboratory, Hyderabad. Consequently, the name and designation of Dr. G. Thyagarajan appearing under Serial No. 6 on page 4 of the Notification No. 1/4/82-CTC dated 1st July, 1982 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Dr. I. B. Gulati, Director, Indian Institute of Petroluem, Dehra Dun.

G. S. SIDHU, Secy.

## MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th September 1982

No. E.11017/3/80-O. L. Implementation.—In supersession of the Ministry of Health & Family Welfare Resolution E.11018/1/77-O. L. Implementation dated the 12th April, 1978, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee for the Ministry of Health and Family Welfare. The composition and functions of the Committee will be as follows :—

(1) *COMPOSITION* :

Chairman

1. Minister for Health & Family Welfare.

Vice-Chairman

2. Dy. Minister for Health & Family Welfare.

Members

3. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare.
4. Secretary, O. L. Department & Hindi Advisor.
5. Addl. Secretary (Health), Ministry of Health & F. W.
6. Addl. Secretary & Commissioner (F.W.), Ministry of Health & Family Welfare.
7. Joint Secretary, O. L. Department, Ministry of Home Affairs.
8. Director General of Health Services, New Delhi.
9. Smt. B. Radhabai Ananda Rao, Member, Lok Sabha.
10. Smt. H. K. Gangwar, Member, Lok Sabha.
11. Shri Inderdeep Sinha, Member, Rajya Sabha.
12. Shri Jaggannath Rao Joshi, Member, Rajya Sabha.
13. One Rajya Sabha Member to be nominated by the Department of Parliamentory Affairs.
14. One Member of Parliament to be nominated by Parliamentary Committee on Official Language.
15. Shri Prabhat Shastri, President, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag.
16. Shri V. Radhakrishna Murthy, Principal Secretary, Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Tyagraj Nagar, Madras.
17. President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68-Sarojini Nagar, New Delhi.
18. Dr. Malik Mohammad, President, Nagari Lipi Parishad, Rajghat, New Delhi.
19. President, Medical Council of India, New Delhi.
20. Director, A.I.I.M.S., New Delhi.
21. Director, Post Graduate Medical Education & Research, Institute, Chandigarh.
22. Dr. Surender Nath Gupta, 52/1-East Canal Road, Dehra Dun (Uttar Pradesh).
23. Dr. Dev Narayan Pandey, Principal, Animal Husbandry & Animal Medical Sciences, Agriculture Faculty, Kashi Hindu Vishwa Vidyalaya, Varanasi (U.P.).
24. Shri Hari Shankar, Editor 'Hindi Shikshak', 125—Girgaon, BOMBAY-400004.

Member-Secretary

25. Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.

(2) *FUNCTION* :

The functions of the Committee will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes in the Ministry proper and its attached and subordinate offices in accordance with the policy laid down by the Central Hindi Committee and the Department of Official Language.

(3) *TENURE AND TERMS & CONDITIONS* :

The terms of the Committee will be 3 years from the date of its formation provided that :—

1. A member of Parliament nominated to this Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a member of Parliament.
2. Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office. He shall be a

member for the residue of the term of the three years.

(4) *GENERAL* :

1. The Committee may co-opt additional members and experts to attend its meetings or appoint sub-committees as may be deemed necessary.
2. Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

(5) *TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES* :

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committees and the sub-Committees of the Committee, if any at the rate fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime inister's Office, Cabinet Secretariate, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariate, Rajya Sabha Secretariate, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues and all the Ministries and Departments of the Government of India

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.

---

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

New Delhi-110001, the 16th September 1982

RESOLUTION

No. 18-1/82-C.A.V.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Rice Development Council constituted vide Resolution No. 50(1)/78-C.A.I dated the 28th December, 1978, with immediate effect. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. *Chairman*

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. *Vice-Chairman*

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

III. *Member-Secretary*

Director, Directorate of Rice Development, Government of India, Patna.

IV. *Members*

A. *Members of Parliament*

Three members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha), to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture and Cooperation to be nominated by the respective State Governments :—

1. Andhra Pradesh.
2. Assam.
3. Bihar.
4. Haryana.
5. Jammu & Kashmir.
6. Karnataka.
7. Kerala.
8. Madhya Pradesh.
9. Maharashtra.
10. Orissa.
11. Punjab.
12. Uttar Pradesh.
13. Tamil Nadu.
14. West Bengal.

C. *Representatives of Central Government*

1. Extension Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation or his nominee.
2. Joint Commissioner (Food Crops) Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.
3. Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.
4. One representative of Planning Commission.
5. One representative of the Department of Food, Ministry of Agriculture.
6. Economic and Statistical Adviser, Directorate of Economics and Statistics, New Delhi, or his representative.
7. Agricultural Marketing Advisre, Ministry of Rural Development or his representative.
8. Director, Central Rice Research Institute, Cuttack.
9. Project Director, All India Coordinated Rice Improvement Project, Hyderabad.
10. One representative of the Ministry of Civil Supplies.

D. *Representatives of Growers*

Fourteen representatives of the Growers to be nominated by the respective State Governments from the following rice growing States :—

1. Andhra Pradesh, One representative.
2. Assam. -do-
3. Bihar. -do-
4. Haryana. -do-
5. Jammu & Kashmir. -do-
6. Karnataka. -do-
7. Kerala. -do-
8. Madhya Pradesh. -do-
9. Maharashtra. -do-
10. Orissa. -do-
11. Punjab. -do-
12. Uttar Pradesh. -do-
13. Tamil Nadu. -do-
14. West Bengal. -do-

E. *Representatives of Workers*

1. Workers engaged in Farms. One
2. Workers engaged in Factories. One

F. One representative from Rice Millers' Association.

G. Such additional persons, not exceeding four, as may from time to time be nominated by the Government of India keeping in view their contribution to the development of the crop.

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invited to assist the Council in its deliberations).

1. One representative of the Agricultural Prices Commission, New Delhi.
2. Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.
3. Chairman, National Seeds Corporation Ltd., New Delhi or his nominee.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

1. To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of rice, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of rice;
2. To consider problems relating to the production and marketing of rice and remunerative price to rice growers and advise Government in these matters;
3. To consider demands for rice in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in rice production programmes accordingly;
4. To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of rice production and suggest suitable measures for meeting the same;

5. To facilitate coordination between research and development programmes relating to rice and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of rice;

6. To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and *ad-hoc* Committees to look into issues of special importance and co-opt members where necessary, such as representatives of Agricultural Universities and other special interests for special purposes.

4. The Council will meet periodically in important centres of Research, trade and industry in areas in which rice is grown and will make its recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government of India. The terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those Members of the Council who are nominated from among the members of Parliament will cease to be members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

---

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 14th September 1982

RESOLUTION

No. F. 1-1-/80-PN.2.—The Central Advisory Board of Education was last constituted in 1975. The term of the previous Board expired on the 31st March, 1978. A number of important developments have taken place in the field of education in the last few years. Mention may be made of 'Education' being brought within the Concurrent List of the 7th Schedule of the Constitution. Universalisation of Elementary Education and Eradication of Adult Illiteracy are among the principal goals of the New 20 Point Programme. The linkages between education, employment and development are also becoming closer than ever before. In this context there is need for ae broad-based national level Advisory Board to advise Government on important educational matters. The Government of India have accordingly decided to re-constitute the Central Advisory Board of Education with immediate effect.

2. The Board may advise the Central Government or any State Government or Union Territory on any educational question either *suo-moto* or on a reference made to it. To discharge this function, the Board may call for information and comments concerning educational developments of special interest and value to India from any Government, institution or organisation, either from within or outside the country.

3. The composition of the Board shall be as indicated in the annexure to this Resolution.

4. (a) *TENURE OF OFFICE* : The tenure of office of members of the Board, other than the ex-officio members, shall be three years. Unless otherwise stated, the tenure shall take effect from the date of notification issued in this behalf.

(b) *CASUAL VACANCIES* : (i) All casual vacancies among the members (other than ex-officio members) shall be filled by the authority or body which nominated or elected the member whose place falls vacant.

(ii) The person nominated/elected to a casual vacancy shall be the member of the Board for the residue of the term for which the member whose place he fills would have been a member.

(c) *MEETINGS* : Ordinarily, the Board will meet once every year. However, there shall not be a gap of more than two years between two consecutive meetings of the Board.

(d) *AGENDA* : (i) The Agenda, the explanatory memorandum and the record of proceedings/minutes will be prepared and circulated by the Ministry fo Education and Culture, Government of India.

(ii) The Agenda and the explanatory memorandum will be circulated to all the members at least 15 days before the date of meeting of the Board.

(e) *QUORUM* : The quorum of the meeting of the Board will be 2/3rd of the total membership of the Board.

(f) *PROCEDURE* : The Board will adopt its own procedure in respect of matters not provided for above.

(g) *COMMITTEES* : (i) For expeditious disposal of its work or for consideration of a matter requiring expert opinion, the Board will have the power to appoint Standing and ad-hoc Committees of persons/experts/specialists who are not members of the Board.

(ii) To preserve intimate connection between such Standing or Ad-hoc Committees, the Board will nominate at least two persons who are members of the Board to be the members of such Committees.

(iii) Each such Committee shall, ordinarily consist of not more than eight members including members of the Board so nominated by it on such Committees.

(h) No proceedings of the Board shall be invalid merely on ground of procedural defect or vacancy under any category of membership.

S. RAMAMOORTHI, Jt. Secy.

---

Annexure

The composition of the Central Advisory Board of Educational shall be as follows :

| | *Number* |
|---|---|
| 1. *Chairman* | |
| The Union Minister of Education. | 1 |
| 2. *Representatives of the Govt. of India* | |
| Member (Education) Planning Commission. | 1 |
| 3. *Representatives of State Governments* | |
| The Minister-in-charge of Education in each State. | 22 |
| 4. *Representatives of Union Territories* | |
| Ministers-in-charge of Education in each Union Territory with legislature (Arunachal Pradesh, Goa, Daman & Diu, Mizoram and Pondicherry). | 4 |
| 5. *Elected Members* | |
| Two Members of Parliament from the Lok Sabha and one Member of Parliament from the Rajya Sabha. | 3 |
| 6. *Ex-Officio Members* | |
| (a) Chairman of University Grants Commission, New Delhi. | 1 |
| (b) Director, National Council of Educational Research and Training, New Delhi. | 1 |
| (c) Director, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. | 1 |
| (d) Director, Directorate of Adult Education, New Delhi. | 1 |

7. *Nominated Members*
   Eleven educationists to be nominated by the Government of India. 11
8. *Member Secretary*
   Secretary, Ministry of Education, New Delhi. 1

Total : 47

*Special Invitees* :

1. Secretary, Ministry of Home Affairs.
2. Secretary, Ministry of Special Welfare.
3. Secretary, Department of Science and Technology.
4. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare.
5. Additional Secretary, Department of Culture.
6. Educational Adviser (Technical).
7. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
8. Heads of Departments and Autonomous Organisations in the Departments of Education and Culture.

*Representatives of*

9. Association of Indian UNniversities.
10. All Indian Council of Technical Education.
11. Indian Council of Agricultural Research.
12. Medical Council of India.
13. Directorate General of Health Services.
14. Central Board of Secondary Education.

## MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 17th September 1982

### RESOLUTION

No. P-11011/1/81-PR.—In supersession of this Ministry's Resolution No. P-11011/8/77-PR dated 18-7-1978, it has been decided to reconstitute the Central Prohibition Committee. The composition of the reconstituted Committee will as under :—

*Chairman*

1. Minister of State, Ministry of Social Welfare.

*Members*

2. Minister of State, Ministry of Home Affairs.
3. Minister of State, Ministry of Industry.
4. Minister of State, Ministry of Finance.
5. Minister of State, Ministry of Chemicals & Fertilizers.
6. Minister of State, Ministry of Tourism and Civil Aviation.
7. Deputy Minister, Ministry of Social Welfare.
8. Deputy Minister, Ministry of Health & Family Welfare.
9. Minister incharge of Prohibition, Andhra Pradesh, Hyderabad.
10. Minister incharge of Prohibition, Assam, Dispur.
11. Minister incharge of Prohibition, Bihar, Patna.
12. Minister incharge of Prohibition, Gujarat, Gandhinagar.
13. Minister incharge of Prohibition, Haryana, Chandigarh.
14. Minister incharge of Prohibition, Himachal Pradesh, Simla.
15. Minister incharge of Prohibition, Jammu & Kashmir, Srinagar.
16. Minister incharge of Prohibition, Karnataka, Bangalore.
17. Minister incharge of Prohibition, Kerala, Trivandrum.
18. Minister incharge of Prohibition, Madhya Pradesh, Bhopal.
19. Minister incharge of Prohibition, Maharashtra, Bombay.
20. Minister incharge of Prohibition, Meghalaya, Shillong.
21. Minister incharge of Prohibition, Manipur, Imphal.
22. Minister incharge of Prohibition, Nagaland, Kohima.
23. Minister incharge of Prohibition, Orissa, Bhubaneswar.
24. Minister incharge of Prohibition, Punjab, Chandigarh.
25. Minister incharge of Prohibition, Rajasthan, Jaipur.
26. Minister incharge of Prohibition, Sikkim, Gangtok.
27. Minister incharge of Prohibition, Tamil Nadu, Madras.
28. Minister incharge of Prohibition, Tripura, Agartala.
29. Minister incharge of Prohibition, Uttar Pradesh, Lucknow.
30. Minister incharge of Prohibition, West Bengal, Calcutta.
31. The Chief Commissioner, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair.
32. Minister incharge of Prohibition, Arunachal Pradesh, Itanagar.
33. The Chief Commissioner, Chandigarh Administration, Chandigarh.
34. The Administrator, Dadra & Nagar Haveli Administration, Silvassa.
35. Executive Councillor incharge of Prohibition, Delhi. (At present the functions of Executive Council are being performed by L.G. Delhi).
36. Minister incharge of Prohibition, Goa, Daman & Diu, Panaji.
37. The Administrator, Lakshadweep Administration, Kavarati, via Head P.O. Calicut.
38. Minister incharge of Prohibition, Mizoram, Aizwal.
39. Minister incharge of Prohibition, Pondicherry, Pondicherry.

*Ex-Officio Members*

40. Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi.
41. Director General, Health Services, New Delhi.
42. Home Secretary—Government of India.
43. Industry Secretary—Government of India.
44. Education Secretary—Government of India.
45. Health Secretary—Government of India.
46. Secretary, Social Welfare—Government of India.
47. Joint Secretary, Ministry of Social Welfare, Incharge of Prohibition—Member Secretary.

*Non-Official Members*

48. Shri Shankar Prasad Mitra, M.P.
49. Smt. Krishna Sahi, M.P.
50. Justice V. R. Krishna Iyer, 554, Anna Salai, Teynampet, Madras-600018.

51. Shri V. Padmanabhan,
Managing Trustee,
Gandhigram Trust,
Gandhigram Post-624302,
Madurai Distt. (Tamil Nadu).

52. Shri Jhinabhai Darji,
Executive Chairman,
20-Points and other Economics
Programme Committee,
Sachivalaya,
Gandhinagar-382010, (Gujarat).

53. Dr. (Smt.) Madhuri R. Shah,
Chairman,
University Grants Commission,
Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.

54. Shri Hamid Husain,
16, Tulsidas Marg,
Lucknow (U.P.).

55. Dr. D. Mohan,
Associate Professor,
Department of Psychiatry,
A.I.I.M.S.,
New Delhi-110029.

56. Mrs. Sarojini Varadappan,
President Women's Indian Association,
43, Greenways Road,
Madras-28.

57. Shri Lavanam,
Director,
Atheist Centre
Benz Circle,
Vijayawada-520006 (Andhra Pradesh).

58. Smt. D. K. Bhandari,
Chairman,
Sikkim State Social Welfare Advisory Board,
Kazi Road, Gangtok,
(Sikkim).

59. Miss Nirmala Deshpande,
13-South Avenue,
New Delhi-110011.

*Functions*

(i) To undertake periodical reviews of Prohibition policy and progress of prohibition in different States;

(ii) To study difficulties that may be encountered by the States in implementing the policy of prohibition and to recommend suitable measures to overcome such difficulties;

(iii) To suggest ways and means to intensify publicity in favour of prohibition both in areas already coming under prohibition and areas which do not;

(iv) To promote scientific research and statistical studies in respect of the economic and social implications of prohibition and alcoholism in particular in respect of subjects such as :—

(a) alternative economic use of raw material now utilised in the production of alcoholic beverages and intoxicants.

(b) rehabilitation of families whose existing avenues of employment may disappear consequent upon introduction of prohibition; and

(v) To recommend suitable measures to encourage and assist official and non-official agencies devoted to.

I. Prohibition and temperance propaganda;

II. Care and rehabilitation of alcoholics and drink addicts; and

III Scientific research in respect of problems associated with prohibition.

*Tenure of the Committee*

The tenure of the Committee is for three years, i.e. upto 30-9-1985.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Committee; all the Ministries of the Government of India; the Planning Commission; the Cabinet Secretariat; the Prime Minister's Office, the Lok Sabha Secretariat; the Rajya Sabha Secretariat; the Department of Parliamentary Affairs and the Chief Secretaries of all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P MARWAH, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay, the 13th September 1982

RESOLUTION

No. 38-SH(2)/81.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the late Ministry of Transport No. 55-MA(5)/52 dated the 8th May, 1954 as amended from time to time read with the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 55-MA(1)/71 dated 15-3-1974, the Director General of Shipping in exercise of the powers delegated to him vide Ministry of Shipping and Transport letter No. 1-MDS(28)/76-MA dated 15-10-1976 is pleased to appoint the following members to constitute the Special Trade Passengers Welfare Committee at the Port of Madras for a period of two years from the date of this Resolution :—

*Chairman*

1. The Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
Madras.

*Official Members*

2. The Controller of Emigration,
Madras.

3. The Deputy Commissioner of Police,
Law and Order,
Madras City.

4. The Deputy Traffic Manager-I,
Madras Port Trust,
Madras.

5. The Port Health Officer,
Madras.

6. The State Port Officer,
Madras (T. Nadu).

7. The Asstt. Collector of Customs,
Preventive Department,
Madras (T. NADU).

*Non-Official Members*

8. Shri R. Prabhu, M.P.,
6/34, Race Course Road,
Coimbatore-18 (T. Nadu).

9. Shri N. Vijayabalan, MLA,
18, Latheef Colony,
Semanar Koil,
Mayuram Taluk (T. Nadu).

10. Shri S. Valayudham, M.A. BL,
No. 195, Rasappa Chatty Street,
Madras (T. Nadu).

11. Smt. Susheela Padmanabhan,
No. 45, Bazulla Road, T. Nagar,
Madras (T. Nadu).

12. Shri M. Krishnaswamy, B.A. BL,
Advocate & Social Worker,
11 Office Venkatachala Mudali St.,
Madras-600 005. (T. Nadu).

13. Shri S. M. Krishnan, MA,
Port & Dock Trade Union Worker
and Social Worker,
10 Srinivasa Road,
Madras-600 017 (T. Nadu).

14. Shri K. K. Gajapathi,
Social & Public Worker,
(Fisherman Community),
No. 203-W, 23rd Cross Street,
Indra Nagar, Madras-600 020.
(T. Nadu).

15. Shri R. Srinivasan, Treasurer,
Madras Krishak Samaj,
Madras.

16. Shri P. K. David,
General Secretary,
A & N Distt. Congress (I) Committee,
Port Blair (A & N Islands).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. The Private and Military Secretaries to the President of India, New Delhi.
2. The Prime Minister's Secretariate, New Delhi.
3. The Lok Sabha Secretariat, New Delhi (with 10 spare copies).
4. The Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. The Chairman, Planning Commission, New Delhi.
6. The Ministry of Shipping & Transport, New Delhi. (with 10 spare copies).
7. The Ministry of Agriculture & Irrigation, New Delhi.
8. The Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation, New Delhi.
9. The Ministry of Communications, New Delhi.
10. The Ministry of Culture, New Delhi.
11. The Ministry of Education & Social Welfare, New Delhi.
12. The Ministry of Defence, New Delhi.
13. The Ministry of External Affairs, New Delhi.
14. The Ministry of Finance, New Delhi.
15. The Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.
16. The Ministry of Home Affairs, New Delhi.
17. The Ministry of Industry, New Delhi.
18. The Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
19. The Ministry of Labour, New Delhi.
20. The Ministry of Railways, New Delhi.
21. The Ministry of Supply & Rehabilitation, New Delhi.
22. The Ministry of Tourism & Civil Aviation, New Delhi.
23. The Ministry of Works & Housing, New Delhi.
24. The Chief Secretary, Govt of Andhra Pradesh, Hyderabad.
25. The Chief Secretary, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar.
26. The Chief Secretary, Govt. of Assam, Dispur.
27. The Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
28. The Chief Secretary, Govt. of Goa, Daman & Diu, Panji.
29. The Chief Secretary, Govt. of Gujarat, Ahmedabad.
30. The Chief Secretary, Govt. of Haryana, Chandigarh.
31. The Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh, Simla.
32. The Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir, Srinagar.
33. The Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore.
34. The Chief Secretary, Govt. of Kerala, Trivandrum.
35. The Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
36. The Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Bombay.
37. The Chief Secretary, Govt. of Meghalaya, Shillong.
38. The Chief Secretary, Govt. of Orisa, Bhubaneshwar.
39. The Chief Secretary, Govt. of Punjab, Chandigarh.
40. The Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
41. The Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu Madras.
42. The Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
43. The Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Calcutta.
44. The Chairman, Madras Port Trust, Madras.
45. The Indian National Shipowners Association, Bombay.
46. The Chairman & Secretary, National Harbour Board, Bombay-1.
47. The Principal Officer, M.M.D. Bombay/Calcutta/Madras.
48. The Chairman & Members of Special Trade Passenger Welfare Committee, Madras.
49. The Public Information Bureau, Bombay.
50. The Public Information Bureau, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

B. K. RAO, Dir. Genl. of Shipping



## MINISTRY OF ENERGY
## (DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 2nd September 1982

RESOLUTION

No. 6/4/82-Trans.—The National Hydro-electric Power Corporation Limited (NHPC) has been constructing electric power generating stations in the country. It has therefore been decided to give representation to National Hydro-electric Power Corporation Limited on the North-Eastern Regional Electricity Board (NEREB) for achieving close co-ordination in the activities of the Board which has to take vital decisions on several issues relating to power system operations.

2. Accordingly, para 2 of the then Ministry of Irrigation & Power Resolution No. EL. II-35(10)/63, dated the 12th March, 1964 establishing the North-Eastern Regional Electricity Board, as amended from time to time, shall be further amended and the Board reconstituted as follows :—

(i) Minister in Charge of Power, Assam of his representative.
(ii) Minister in Charge of Power, Manipur or his representative.
(iii) Minister in charge of power, Arunachal Pradesh or his representative.
(iv) Minister in charge of Power, Tripura or his representative.
(v) Minister in charge of Electricity, Meghalaya or his representative.
(vi) Minister in charge of Power, Mizoram or his representative.
(vii) Chief Secretary to the Government of Nagaland or his representative.
(viii) The Chairman, Assam State Electricity Board.
(ix) The Chairman, Meghalaya State Electricity Board.
(x) The Chairman and Managing Director, North-Eastern Electric Power Corporation Limited.
(xi) The General Manager (Elec.), National Hydro-Electric Power Corporation Limited.
(xii) A representative of the Central Electricity Authority.

The Ministers who are Members of the Board will be Chairman of the Board by rotation, in alphabetical order of the names of the States they represent, for one year each.

*ORDER*

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Nagaland and Mizoram, the State Electricity Boards of Assam and Meghalaya the North Eastern Electric Power Corporation Limited, the National Hydro-electric Power Corporation Limited, the Central Electricity Authority, the North-Eastern Regional Electricity Board, all Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 6/4/82-Trans.—The National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) and National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) have been constructing electric power generating stations in the country. It has, therefore, been decided to give them representation on the Eastern Regional Electricity Board (EREB) for achieving close coordi-

nation in the activities of the Board which has to take vital decisions on several issues relating to power system operation.

2. Accordingly, para 2 of the then Ministry of Irrigation and Power Resolution No. EL-II-35(7)/63, dated the 6th March 1964 establishing the Eastern Regional Electricity Board, as amended from time to time, shall be further amended and the Board reconstituted as under :

(i) The Chairman, Bihar State Electricity Board.

(ii) The Chairman, Damodar Valley Corporation.

(iii) The Chairman, Orissa State Electricity Board.

(iv) The Chairman, West Bengal State Electricity Board.

(v),(vi) & (vii) A representative, if any, that may be nominated by each of the Governments of West Bengal, Bihar and Orissa, from time to time.

(viii) The Managing Director, Durgapur Projects Limited.

(ix) The Additional Chief Engineer, Department of Power, Government of Sikkim.

(x) The Executive Director (Operations), National Thermal Power Corporation Limited.

(xi) The General Manager (Elec.), National Hydroelectric Power Corporation Limited.

(xii) A representative of the Central Electricity Authority.

(xiii) The Member-Secretary, Eastern Regional Electricity Board.

The members at (i) to (iv) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board, by rotation, for one year each.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Bihar, Orissa and West Bengal, the State Government of Sikkim, Damodar Valley Corporation, Durgapur Projects Limited, National Thermal Power Corporation Limited, National Hydroelectric Power Corporation Limited, Central Electricity Authority, Eastern Regional Electricity Board, all Ministries of Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resoluiton be published in the Gazette of India for general information.

S. RAMESH, Jt. Secy.

## MINISTRY OF STEEL AND MINES
## RULES

New Delhi, the 9th October, 1982

No. A-12025/4/82-M2.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1983 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of Ministry of Irrigation, published for general information :—

*Category I* (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Steel and Mines).

(i) Geologist (Junior), Group A and

(ii) Assistant Geologist Group B

*Category II* (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Irrigation).

Assistant Hydrogeologist, Group B

1. A candidate may compete in respect of any one or both the categories of posts mentioned above. He should clearly indicate in his application the posts for which he wishes to be considered in the order of preference.

No request for alteration in the preferences indicated by a candidate in respect of posts covered by the category/categories for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the resut of the written examination in the Employment News.

2. Appointments on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance. The candidates will be eligible for permanent appointment in their turn as and when permanent vacancies become available.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January 1983 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January 1953, and not later than 1st January 1962.

(b) the upper age limit will be relaxable upto a maximum of 7 years in the case of Government servants if they are employed in a Department mentioned in column I below and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

| Column I | Column II |
|---|---|
| Geological Survey of India | Geologist (Junior), Group A. Assistant Geologist, Group B. |
| Central Ground Water Board | Assistant Hydrogeologist, Group B |

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had

migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is a migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona-fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania, (formely Tunganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1983 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1983) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1983 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1983) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application, duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

7. A candidate must have—

(a) Masters' degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad; or

(c) M.Sc. degree in Mineral Exploration of the Karnataka University (for posts in the Geological Survey of India only); or

(d) Masters' degree in Hydrogeology from a recognised University (for posts in the Central Ground Water Board only).

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than 30th July 1983.

NOTE II.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the eaxmination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

10. The decision of the Commission as to the eligibility, or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to the candidates along with their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for the various posts at the time of his application.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the post. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy those requirements, will not be appointed. Only candidates who are likely to be considered for appointment will be physically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the Medical examination.

NOTE :—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment to Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

20. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

H. L. ATTRI, Under Secy.

---

## APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following Plan:—

PART I—Written examination in the subjects as set out on para 2 below.

PART II—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks (see para 7 below).

2. The following will be the subjects for the written examination :—

| Subject | Code No. | Duration | Maximum Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) General English | 01 | 1½ hrs. | 100 |
| (2) Geology Paper I, comprising General Geology, Geomorphology, Structural Geology, Stratigraphy and Palaeontology | 02 | 3 hrs. | 200 |
| (3) Geology Paper II, comprising Crystallography, Mineralogy, Petrology and Geo-Chemistry. | 03 | 3 hrs. | 200 |
| (4) Geology Paper III, comprising Indian Mineral Deposits, Mineral Exploration, Mineral Economics and Economic Geology. | 04 | 2 hrs. | 150 |
| (5) Hydrogeology | 05 | 2 hrs. | 150 |

NOTE :—Candidate competing for posts under both category I and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under category II only will be required to offer subjects at (1) to (3) and (5) above.

3. The examination in all the subjects will be completely of objective (multiple choice answer) type. For details including Sample Questions, please see "Candidates' information Manual" at Annexure II to the Commissions Notice.

4. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

8. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

### *SCHEDULE*

### *STANDARD AND SYLLABUS*

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidate's grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

### (1) GENERAL ENGLISH (Code 01)

Questions to test the understanding of and the power to write English.

### (2) GEOLOGY PAPER I (Code 02)

A. *General Geology*.—Origin of the Earth, Continents and Oceans—their distribution, evolution and origin. Continental drift, ocean spreading and concept of plate-tectonics, Palaeoclimates and their significance. Isostasy. Palaeomagnetism Radioactivity and its application to geology. Geochronology and age of the Earth. Seismology and interior of the Earth. Geosynclines. Volcanism. Island arcs, deep-sea trenches and midoceanic ridges. Coral reefs. Orogeny and epeirogeny. Organic cycles.

B. *Geomorphology*.—Geomorphic processes, features and their parameters. Geomorphic cycles and their interpretations. Topography and its relation to structures. Soils.

C. *Structural Geology*.—Physical properties of rocks. Deformation. Faulting and folding—their mechanics. Primary structures. Lineation, foliation and joints. Plutons, diapers and salt domes. Recognition of top and bottom of beds. Un-conformities. Diastrophism. Petrofabric analysis.

D. *Stratigraphy*.—Principles of stratigraphy and nomenclature. Outlines of word stratigraphy and palaeogeography. Type sections of the various geological systems. Gondwana System and Gondwanaland.

Stratigraphy and Palaeogeography of the Indian sub-continents (India, Pakistan and Bangladesh). Correlation of the major Indian formations. Age problems in Indian stratigraphy.

E. *Palaeontology*.—(a) Fossils, their nature, modes of preservation and uses. Morphology, classification and geological history of the invertebrates; corals brachiopads, lamellibranchs ammonities, gastropeds, trilobites, echioderms, graptolites and foraminifers.

(c) Fossil flora with emphasis on Gondwana flora and its Gondwana and Siwalik. Evolutionary histories of man, elephant and horse.

(b) Principal groups of vertebrates with emphasis on significance and distribution.

(d) Micropalaeontology its importance with special reference to foraminiferids, their ecology and palaeoecology.

(3) GEOLOGY PAPER II (Code 03)

A. *CRYSTALLOGRAPHY*

Symmetry elements and classification of crystals. Projections—Spherical and Stereographic; 32 classes (Point groups). Twinning and crystal imperfections.

B. *DESCRIPTIVE MINERALOGY*

Physical, chemical, electrical, magnetic and thermal properties of minerals. Structure and classification silicates.

Olivine group. Garnet group. Epidote group and Melilite group. Zircon. Sphene, Silimanite, Andalusite, Kyanite, Toroz, Staurolite, Beryl, Cardierite, Tourmaline, Pyrozene group and Amphibole group. Wollastonite and Rhodonite. Mica Group. Chlorite group and Clay minerals. Feldspar group. Silica minerals. Feldspathoid group. Geolite group and Scapolite group. Oxides Hydroxides Carbonates, Phosphates. Halides, Sulphides and Sulphates.

C. *OPTICAL MINERALOGY*

General principles of optics. Optical accessories, Refringence Birefringence, Extinction angle, Pleochroism. Optical ellipsoids. Optical axial angle. Optic orientation. Dispersion. Optic anomalies.

D. *PETROLOGY*

(i) *Igneous* : Forms, structures, texture and classification. granite-Granedior-Diorite. Syenite-Nepheline Syenite. Gabbro-Peridotite-Dunite. Lamprophyre, Pegmatite, Aplite, Ijolite and Carbonatite, Rhyolite, Trachyte, Dacite, Andesite and Basalt.

Phase rule and equilibrium in silicate system. To component and three-component systems. Order of Crystallisation. Reaction principle. Crystallisation of magmas. Diversity Variation diagrams. Origin of granites, monomineralic and alkaline rocks, carbonatites, pegmatites and lampropyres.

(ii) *Sedimentary* : Classification and composition. Origin of sediments. Textures and structures. Study of important groups of sedimentary rocks. Mechanical analysis of sediments. Methods of deposition. Palaeocurrents and basin analysis. Provenance of sediments. Depositional environment, Heavy minerals and their significance. Lithification and diagenesis.

(iii) *Metamorphic* : Agents, types, controls, structures, grades and facies of metamorphism. Metamorphic differentiation. Metasomatism and granitisation. Migmatites, granulites, charnockites, amphibolites, schists, gneisses and hornfels. Metomorphism in relation to magma and orogeny.

E. *GEOCHEMISTRY*

Cosmic abundances of elements, primary geochemical differentiation of the Earth; geochemical classification of the elements. Trace elements. Geochemistry of water. Geochemistry of sediments, geochemical cycle and principles of geochemical prospecting.

(4) GEOLOGY PAPER III (Code 04)

A. *INDIAN MINERAL DEPOSITS*

Indian deposits of the following metallic and non-metallic ores and minerals with reference to their distribution, mode of occurrence and origin :

(a) Copper, Lead, Zinc, Aluminium, Magnesium, Iron, Manganese, Chromium, Gold, Silver, Tungsten and Molybdenum.

(b) Mica, Vermiculite, Asbestos, Barytes, Graphite, Gypsum, Ochre, Precious and Semiprecious minerals, refractory minerals, abrasives, and minerals for ceramics, glass, fertiliser, cement, paint and pigment industries and building stones.

(c) Coal, petroleum, natural gas and atomic energy minerals.

B. *MINERAL EXPLORATION*

Methods of surface and sub-surface exploration, field equipment and field tests used for exploration; guides for locating ore deposits. Sampling assaying and evaluation of ore deposits. Application of geophysical, geochemical and geobotanical surveys in mineral exploration.

C. *MINERAL ECONOMIC*

Significance of minerals in national economy. Use of various minerals in manufacturing industries, Demand, supply and substitutes. Production and price of major minerals in India. International aspects of criminal industries. Strategic, critical and essential minerals. Conservation and national mineral policy. India's status in mineral production.

D. *ECONOMIC GEOLOGY*

Mineral deposits—processes of formation, controls of localisation and classification. Study of important metallic and non-metallic minerals with reference to their mineralogy, mode of occurrence and distribution.

(5) HYDROGEOLOGY (Code 05)

Hydrological cycle. Distribution of water in the earth's crust. Ground Water in hydrological cycle. Origin of ground water, meteoric, juvenile and magmatic waters, springs. Classification of rocks with respect of water bearing characteristics, Hydro-stratigraphic units. Geological structures favouring ground water occurrence, Ground water provinces. Ground water reservoirs—Aquifers, acquicludes, aquitards. Classification of aquifers.

Hydrological properties of rocks (Ground water reservoirs) porosity, void ratio, permeability, transmissivity, storativity, specific yield, specific retention, diffussivity. Methods of identification of ground water reservoir properties—Permeability and specific yield/storativity by discharging well

methods and laboratory techniques. Forces causing ground water movement. Laws of ground water movement—Darcy's law. Ground water recharge—artificial and natural, factors controlling recharge conjunctive and consumptive use of ground water.

Surface and sub-surface techniques of ground water exploration—geological and geophysical—water balance. Techniques of ground water extraction (Types of wells, methods of well construction in different types of rocks for best yield). Chemical characteristics of ground water in relation to various uses—domestic, industrial and irrigational. Water pollution.

---

## APPENDIX-II

## REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report to the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services Personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight, and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar, and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres thus 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in Kilogram; fraction of half a Kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with following rules. The result of each test will be recorded.

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or contiguous structures of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one of the distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

| Distant Vision | | Near Vision | |
|---|---|---|---|
| Better eye | Worse eye | Better eye | Worse eye |
| 6/9 or 6/6 | 6/9 or 6/12 | 0·6 | 0·8 |

NOTE (1)—Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00D. The total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

NOTE (2)—*Fundus Examination* : Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

NOTE (3)—*Colour vision* : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below:—

| Grade | Higher grade of colour perception | Lower grade of colour perception |
|---|---|---|
| 1. Distance between the lamp and candidate . . . | 4·9 metres | 4·9 metres |
| 2. Size of aperture . . | 1·3 mm. | 13 mm. |
| 3. Time of exposure . . | 5 Sec. | 5 Sec. |

For the services concerned with safety of the Public, e.g. pilots, drivers, guards, etc., the higher grade of colour vision is essential but for others the lower grades of colour vision should be considered sufficient. The same standards of colour vision should be applicable in respect of all engineering personnel in whose case colour perception is considered essential irrespective of the fact whether their duties involve field work or not.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edrige Green shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

NOTE (4).—*Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (5).—*Night Blindness.*—Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, e.g., recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

NOTE (6).—(a) *Ocular conditions other than visual acuity.*—Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—Where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of a prescribed standard should be considered as a disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidates should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

*Method of taking Blood Pressure*

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff, completely, deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied slightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Re checking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at still lower level. This silent Gap may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and, will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed:—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (1) | Marked or total deafness in one ear other ear being normal. | Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency. |
| (2) | Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid. | Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in speech frequencies of 1000 to 4000. |
| (3) | Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type. | (i) one ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ear should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below. |
| | | (ii) Marginal or attic perforation in both ears—unfit. |
| | | (iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit. |
| (4) | Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides. | (i) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity —Fit for both technical and non-technical jobs. |
| | | (ii) Mastoid cavity of both sides, Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibels in either ear with or without hearing aid. |
| (5) | Persistently discharging ear operated/unoperated | Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs. |
| (6) | Chronic inflammatory allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum. | (i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. |
| | | (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms — Temporarily unfit. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (7) | Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx. | (i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx Fit.<br>(ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then Temporarily Unfit. |
| (8) | Benign or locally malignant tumours of the E.N.T. | (i) Benign Tumours Temporarily Unfit.<br>(ii) Malignant Tumour—Unfit. |
| (9) | Otosclarosis | If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of caring aid—Fit. |
| (10) | Congenital defects of ear, nose or throat. | (i) If not interfering with functions—Fit.<br>(ii) Stuttering of severe degree—Unfit. |
| (11) | Nasal Poly | Temporarily Unfit. |

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands, and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease.

(j) that there is no congenital malformation or defect.

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains, a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

*Medical Board's Report*

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner.

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No. person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.) and Assistant Geologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for

rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared Temporarily 'Unfit' period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....
.....

2. State your age and birth place.....
.....

3. (a) Do you belong to races as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes' or 'No'. and if the answer is 'Yes' state the name of the race.

(b) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis.

(c) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. When were you last vaccinated ?

5. Have you suffered any form of nervousness due to overwork or any other cause ?

6. Furnish the following particulars concerning your family :

| Father's age, if living, and State of health | Father's age at death and cause of death | No. of brothers living, their ages and state of health | No. of brothers, dead their ages at and cause of death | Mother's age if living, and state of health | Mother's age at death and cause of death | No. of sisters living their ages and state of health | No. of sisters dead, their ages at and cause of death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

7. Have you been examined by a Medical Board before ?

8. If answer to the above is 'Yes' please state what Services/posts you were examined for.

9. Who was the examining authority ?

10. When and where was the Medical Board held ?
.....

11. Results of the Medical Boards' examination, if communicated to you or if known .....

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct.

Candidate's Signature.....

Signed in my presence.

Signature of Chairman of the Board.

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims of superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good..... Fair.....
Poor.....

Nutrition : Thin..... Average..... Obese.....

Height (without shoes)..... Weight.....

Any recent change in weight.....
Temperature.....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : any obvious disease .....

3. Eyes.....

(1) Any disease.....

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of Vision.....

(5) Fundus Examination.....

(6) Visual Acuity.....

(7) Ability for stereoscopic fusion.....

| Acuity of vision | Naked eye | With glasses | Strength of glasses sph. cy. Axis |
|---|---|---|---|
| distant Vision | | | |
| RE | | | |
| LE | | | |
| Near Vision | | | |
| RE | | | |
| LE | | | |
| Hypermetropia (Manifest) | | | |
| RE | | | |
| LE | | | |

4. Ears : Inspection..... Hearing : Right Ear ..... .....Left Ear.....

5. Glands..... Thyroid

6. Condition of teeth.....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully.....

8. Circulatory system .....

(a) Heart and organic lesions.....

Rate : Standing.....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic .....Diastolic .....

9. Abdomen : Girth.....

Tenderness.....

Hernia.....

(a) Palpable Liver.. .....Spleen
Kidneys ..... Tumours

(b) Haemorrhoids.....Fistula

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities.....

11. Loco-Motor System : Any abnormality ..... .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest ..... .....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate.....

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* regulation 9.

.....

.....

15. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

.....

.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

.....

NOTE.—The Board should record their finding under one of the following three categories :

(i) Fit

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of ..... .....

President .....

Member .....

Place .....

Date .....

## APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. *Geological Survey of India*

(1) Geologist (Junior) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years, which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and insrtuctions and to pass such examinations and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India.

(i) Geologist (Junior) (Junior Scale) Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Geologist (Senior) (Senior Scale) Rs. 1100—50—1600.

(iii) Director (Geology) Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Deputy Director General (Geology) Rs. 2250—125/2—2500.

(v) Senior Deputy Director General (Operations) Rs. 2500—125/2—2750.

(vi) Director General Rs. 3000 (fixed).

(d) Promotion to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

(2) Assistant Geologists Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scale of pay Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(d) Recruitment to the Cadre of Geologist (Group A—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination, and partly through DPC by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geological Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) Assistant Geologists are liable for service anywhere in India or outside India.

2. *Central Ground Water Board*

Assistant Hydrogeologist, Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay : Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(c) Recruitment of the cadre of Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologists are liable for Service anywhere in India or outside India.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th September 1982

No. U 13019/7/82-ANL(i).—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee of the Union Territory of Lakshadweep, associated with the Minister of Home Affairs for the period upto 31-3-1983 :—

1. Shri Ummeroda Cheriya Koya Thangal, (U.C.K. Thangal), Kavaratti.
2. Shri K. N. K. Habeeb, Kavaratti.
3. Shri K. Dom Manikfan, Minicoy.
4. Shri Aliyathara Jalaluddin Koya Androth.
5. Shri Ponnikkam Shaik Koya, Amini.
6. Shri Thekkila Illam Koyamma, Kadmat
7. Smt. Mathil Beebi Kalpeni.
8. Shri A. Misbah, Chetlat.

Shri Aliyathara Jalaluddin Koya will represent the interest of the cooperative Societies.

No. U.13019/7/82-ANL(ii).—The President is pleased to nominate the following non-official Members to the Advisory Council, associated with the Administrator, Lakshadweep for the period upto 31-3-1983 :—

1. Shri Melapura Cheriyakoya, Kavaratti.
2. Shri W. Hussain Ali, Minicoy.
3. Shri K. Nallakoya Thangal, Androth.
4. Smt. Assrachetta Maimoonath, Kadmat.
5. Dr. K. K. Mohammed Koya, Kalpeni
6. Shri Poovinoda Pookoya, Kalpeni.
7. Shri Baliapathoda Amarulla Kiltan.
8. Shri Poovinoda Poovinoda Pookoya, Kalpeni.
9. Shri P. Shihabuddin Haji, Agatti.
10. Shri Mariyam Saviyoda, Koyamma Haji, Agatti.
11. Shri P. Mohammad Koya, Bitra.

UMA PILLAI, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

### CLERKS' GRADE EXAMINATION (FOR GROUP 'D' STAFF), 1982

### RULES

New Delhi-1, the 9th October 1982

No. 9/3/82-CS.II.—The Rules for a qualifying examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs New Delhi in 1982, for the purpose of filling temporary vacancies reserved for regularly appointed Group 'D' Staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service, Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) and posts of Lower Division Clerk in the Departmental of Parliamentary Affairs, are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible for vacancies :—

(i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service, if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisations;

(iii) in Grade VI of the IFS (B), if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad; and

(iv) in posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the advertisement to be issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Caste/Tribe means any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Schedule Tribes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956; The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribe Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Group 'D' employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

I. *Length of Service* : He should have rendered on 1st August, 1982, not less than 5 years of approved and continuous service as a Group 'D' employee or in any higher Grade in Ministries/Offices participating in (i) the Central Secretariat Clerical Service, or (ii) Armed Forces Headquarters and/or Inter-Services Organisations or (iii) in the Ministry of External Affairs or its Mission abroad or (iv) posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

*NOTE* (1) : The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidate is partly as a Group 'D' employee in any Ministry or Office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the Offices participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service and partly elsewhere in equivalent or higher grade or as Group 'D' employee in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad or in posts of LDC in the Department of Parliamentary Affairs.

*NOTE* (2) : Group 'D' employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A Group 'D' employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and continues to have a lien on a Group 'D' post for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II. *Age.*—He should not be more than 50 years of age on 1st August, 1982, i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1932.

The age limit prescribed above will be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

III. *Educational Qualification.*—Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Govt. of India as equivalent to matriculation certificate for entry into service.

NOTE (1) A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE (2) In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of Government justifies his admission to the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period;

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the Commission will recommend separate to each cadre Authority concerned participating in the examination the names of candidates, who have attained the qualifying standard, which will be determined at the discretion of the Commission. The Cadre Authorities will take steps to appoint them against vacancies decided to be filled in accordance with the rules/regulations framed by them in this regard.

The Commission have discretion to prescribe relaxed minimum qualifying standard for SC/ST candidates.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :—In the case of the disabled ex-Defence Service Personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of an appointment.

11. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission or Staff Selection Commission, he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him untill he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE :—A candidate appointed on the results of the examination or after appearing at it resigns his appointment prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of one year's service. This will however, be absorbed in the subsequent regular increments.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment as a Group 'D' employee or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on a Group 'D' post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Group 'D' employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL
Under Secy.

---

APPENDIX

The examination will be conducted according to the following Scheme :

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

| Paper No. | Subject | Maximum Marks | Time allowed |
|---|---|---|---|
| I | Short Essay | 100 | 1½ Hours |
| II | General English | 50 | 1 Hour |
| III | General Knowledge (including Geography of India). | 50 | 1 Hour |

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to the Appendix.

3. The candidates are allowed the option to answer Paper-I or Paper III or both either in Hindi (In Devanagri Script) or in English. Paper II must be answered in English by all candidates.

*Note* 1 : The option for Paper III will be for the complete Paper and not for different questions in it.

*Note* 2 : Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers of the examination in Hindi (In Devanagari Script) should indicate their intention to do so in their application. Otherwise it would be presumed that they would answer the paper in English.

*Note* 3 : The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

*Note* 4 : No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5% of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expressions combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE
SYLLABUS

PAPER I : *Short Essay*

An essay to be written on any one of the several specified subjects.

PAPER II : *General English*

Candidates will be tested in simple composition. Applied Grammer and Elementary Tabulation (to test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting date in a tabular form).

PAPER III : *General Knowledge (Including Geography of India)*

Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1982